सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 242/2025 दिनांक : 19.12.2025

परिवादी :-- श्री विरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री एन0पी0 गुप्ता, डी--97, शिवालिक नगर, जिला--हरिद्वार।

विपक्षी :-- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री विरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री एन0पी0 गुप्ता, डी--97, शिवालिक नगर, जिला--हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या--जेडब्लू31243017662, के सन्दर्भ में कथन किया है कि यह कनैक्शन उनके स्वर्गीय पिता श्री एन0पी0 गुप्ता के नाम पर पंजीकृत है, जिनका निधन सन् 2002 में हो गया था। उनका मीटर जून 2025 से खराब है। डिस्प्ले में मीटर रीडिंग का तीसरा अंक मिट गया है परिणामस्वरूप, उन्हें दोषपूर्ण तथा अनुमानित रीडिंग के आधार पर अत्यधिक विद्युत खपत के बिल जारी किए गए हैं। इसकी पुष्टि जून 2025 से पहले की रीडिंग से की जा सकती है। यूपीसीएल कार्यालय में शिकायत दर्ज किए जाने तथा जे0ई0 मीटर, श्री संजीव को सूचित किए जाने के उपरांत भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। अतः मंच से अनुरोध है कि उक्त समस्या का समाधान कर दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या 8006 दिनांकित 12.11.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, ज्वालापुर--द्वितीय द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक 1015 दिनांक 10.11.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि श्री विरेन्द्र कुमार उत्तराधिकारी श्री एन0पी0 गुप्ता (मृतक उपभोक्ता), निवासी--डी--97, शिवालिक नगर, बी0एच0ई0एल0, जिला हरिद्वार (संयोजन संख्या जेडब्लू31243017662) द्वारा विद्युत मीटर के खराब होने व विद्युत मीटर में अंक सही से न दिखने के कारण, उक्त उपभोक्ता का विद्युत बिल अधिक आ जाने से, संबंधित ऑनलाईन शिकायत दर्ज कराई गयी, जिसका क्रमांक नं0 12608250059 है। जिसके अनुपालन में विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ता के परिसर पर नया विद्युत मीटर (मीटर सं0 5765739), दिनांक 04.10.2025 को स्थापित करने के उपरान्त उक्त उपभोक्ता के विद्युत बिल को संशोधित करने हेतु, उपखण्ड कार्यालय के पत्रांक संख्या 973 दिनांक 06.10.2025 द्वारा सहायक अभियन्ता, विद्युत परीक्षणशाला, मायापुर, हरिद्वार को, परिसर से उतारे गए विद्युत मीटर (मीटर सं0 987577) की एम0आर0आई0 रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए पत्र प्रेषित किया गया था, जो कि तद्दिनांक तक लंबित है।

मंच के समक्ष परिवादी अनुपस्थित तथा विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता(राजस्व) श्री एस0के0 गौतम उपस्थित हुए।

क्रमशः.....02

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 04.00 किलोवाट भार पर, दिनांक 14.10.1983 से, श्री एनपी गुप्ता के नाम पर गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 23.08.2025 तक, एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। परिवादी द्वारा, उक्त संयोजन पर, पूर्व में गतिमान मीटर संख्या–987577 की डिस्प्ले यूनिट में, मीटर रीडिंग का एक अंक, माह जून 2025 से, अपठित हो जाने के परिणामस्वरूप, विपक्षी विभाग द्वारा अधिक विद्युत खपत के बिल जारी किए जाने के कथन के साथ, दिनांक 23.07.2025 तथा दिनांक 23.08.2025 को जारी बिलों को विवादित ठहराया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा बार–बार समय की मांग किए जाने के पश्चात भी, प्रश्नगत मीटर संख्या–987577 की एमआरआई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत, प्रश्नगत मीटर संख्या–987577 का छायाचित्र के अवलोकन से विदित होता है कि प्रश्नगत मीटर की डिस्प्ले यूनिट में एक अंक स्पष्ट नहीं है।

प्रश्नगत मीटर की एमआरआई रिपोर्ट के अभाव में, उक्त मीटर पर दर्ज सही रीडिंग/खपत की पुष्टि किया जाना संभव नहीं है। इस प्रकार अस्पष्ट मीटर रीडिंग के आधार पर जारी बिलों को सही ठहराया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 23.07.2025 तथा दिनांक 23.08.2025 में जारी बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 22.06.2025 से दिनांक 23.08.2025 तक की अवधि हेतु, पूर्व में एमयू आधार पर जारी तीन बिलिंग चक्रों में दर्ज औसत विद्युत खपत के आधार पर, विलंब अधिभार रहित, संशोधित बिल, परिवादी को जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह दिनांक 23.07.2025 तथा दिनांक 23.08.2025 में जारी बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 22.06.2025 से दिनांक 23.08.2025 तक की अवधि हेतु, पूर्व में एमयू आधार पर जारी तीन बिलिंग चक्रों में दर्ज औसत विद्युत खपत के आधार पर, विलंब अधिभार रहित, संशोधित बिल, परिवादी को जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

19/12/2025

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

19/12/2025

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

19/12/2025

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 248/2025 दिनांक : 05.12.2025

परिवादी :– श्रीमती शिखा पत्नी श्री विनीत कुमार, निवासी–ऊषा टावर, गणेशपुर, रूड़की, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती शिखा पत्नी श्री विनीत कुमार, निवासी–ऊषा टावर, गणेशपुर, रूड़की, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–6810127135608, के सन्दर्भ में कथन किया है कि यह विद्युत संयोजन उनके घर पर लगा हुआ है। जिस पर विद्युत मीटर संख्या–जीयू183414 स्थापित चला आता है। उनके द्वारा घर पर स्थापित विद्युत संयोजन उपरोक्त पर स्थापित विद्युत मीटर संख्या–जीयू183414 के द्वारा ज्यादा रीडिंग रिकार्ड किए जाने एवं माह जून का बिल अधिक आने के संबंध में विपक्षी विभाग को मौखिक रूप से अवगत कराया गया था। जिस पर विपक्षी विभाग के कर्मचारी दिनांक 07.07.2025 को उनके संयोजन पर स्थापित मुख्य मीटर के साथ एक चैक मीटर स्थापित कर उनको सीलिंग रिपोर्ट प्रदान कर चले गये थे। चैक मीटर स्थापित किए जाने की सीलिंग रिपोर्ट की छायाप्रति शिकायत पत्र के साथ संलग्न है। जिसके उपरांत विपक्षी विभाग के कर्मचारी दिनांक 13.08.2025 को उनके घर आये और उनके द्वारा उनको अवगत कराया कि उनके विद्युत संयोजन का मुख्य मीटर वास्तविकता में थोडा तेज कार्य कर चैक मीटर के सापेक्ष कुछ ज्यादा रीडिंग रिकार्ड कर रहा है, परंतु इसके बाद भी विपक्षी विभाग के कर्मचारियों के द्वारा उनके घर पर स्थापित पुराने मीटर को ही मुख्य मीटर के रूप में फाइनल कर एवं मुख्य मीटर की मेन तार जिसमे मीटर व एल0टी0 लाईन के मध्य कट लगा हुआ था को ही मुख्य मीटर से कनेक्ट कर चले गये। दिनांक 13.08.2025 को मुख्य मीटर फाइनल किए जाने की सीलिंग रिपोर्ट शिकायत पत्र के साथ संलग्न है। जिसके उपरांत उनके द्वारा दिनांक 03.09.2025 को उनके मीटर की तार में कट लगे होने के संबंध में एक शिकायत फोन के माध्यम से 1912 टोल फ्री नंबर पर कॉल कर दर्ज कराई थी। जिसके उपरांत आपके विभाग के लाईनमैन दिनांक 03.09.2025 की शाम को ही आकर एल0टी0 लाईन से मीटर तक नई तार बदलने की एवज में रू0. 500 प्राप्त कर नई तार बदलने के स्थान पर एवं पूर्ण रूप से मीटर के साथ सील किए जाने के स्थान पर एल0टी0 लाईन से मीटर के मध्य में तार को एक बड़े ज्वाइंट के माध्यम से जोड़ कर चले गये। मीटर एवं एल0टी0 लाईन के मध्य तार को जोड़े जाने की फोटो की प्रति शिकायत पत्र के साथ संलग्न है। उसके द्वारा विपक्षी विभाग को गलत तरीके से तार को,उनके विद्युत संयोजन से जोड़े जाने के संबंध में कई बार मौखिक रूप से अवगत

क्रमशः.....02

कराया, परंतु विपक्षी विभाग के द्वारा उनके मौखिक आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिसके पश्चात उनके द्वारा विपक्षी विभाग को दिनांक 18.09.2025 को पंजीकृत डाक के माध्यम से एक पत्र प्रेषित कर केबल को सही से स्थापित किए जाने एवं नई सीलिंग रिपोर्ट जारी किए जाने के संबंध में प्रार्थना की गई। उनका पत्र दिनांक 19.09.2025 को विपक्षी विभाग को प्राप्त होने के पश्चात आज तक भी विपक्षी विभाग के द्वारा उनके संयोजन पर स्थापित मीटर में एल0टी0 लाईन से आ रहे तार को सही से स्थापित नहीं किया गया है। उनके द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 18.09.2025 की छायाप्रति पंजीकृत डाक रसीद व डाक की ऑनलाइन ट्रैक रिपोर्ट पर शिकायत पत्र के साथ संलग्न है। विपक्षी विभाग के कर्मचारी के द्वारा किए गये कृत्य से कोई बड़ी अप्रिय घटना भी घटित हो सकती है एवं भविष्य में उनकी बिना किसी गलती के उनके विरूद्ध गलत तरीके से विद्युत चोरी का अपराध भी दर्ज होने की भी प्रबल संभावना है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनको विपक्षी विभाग से निम्नलिखित अनुतोष दिलाया जाये:— विपक्षी विभाग को आदेशित करने की कृपा करें कि वह उनके विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर के तार को मीटर के साथ सही से कनेक्ट कर मीटर को पुनः सील करने एवं उनको पुनः नई सीलिंग रिपोर्ट अविलंब जारी करे। अन्य कोई अनुतोष जो मंच की राय में उचित हो वह भी उनको विपक्षी विभाग से दिलाया जाए।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी द्वारा पत्र संख्या 367 दिनांकित 06.10.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि संयोजन संख्या—6810127135608 उपभोक्ता श्रीमती शिखा पत्नी श्री विनीत कुमार, ऊषा टावर, गणेशपुर, रूड़की की बिलिंग हिस्ट्री का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ है कि माह 05 / 2025 में उपभोक्ता का विद्युत बिल मीटर रीडर द्वारा 87 यूनिट का व उसके उपरांत मीटर रीडर द्वारा माह 06 / 2025 का विद्युत बिल 1552 यूनिट का निर्गत किया गया था। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि मीटर रीडर द्वारा माह 05 / 2025 का विद्युत बिल, कम यूनिट पर निर्गत कर दिया गया था। चैक मीटर में 3% तक सही माना जाता है। उपभोक्ता की चैक मीटर की सीलिंग के अनुसार उपभोक्ता का मीटर 0.20% तेज पाया गया था। जोकि यूईआरसी के नियमानुसार ठीक है। साथ ही आपको यह भी अवगत कराना है कि चैक मीटर में 3% तक आने पर पुराने मीटर को ही सही मानते हुए मेन मीटर बना दिया जाता है। व उपभोक्ता के विद्युत केबिल को चेंज करते हुए दिनांक 30.09.2025 को पुनः सील कर दिया गया है।

उक्त के अनुक्रम में उपखण्ड अधिकारी द्वारा पत्र संख्या 389 दिनांकित 29.10.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता श्रीमती शिखा पत्नी श्री विनीत कुमार, ऊषा टावर, गणेशपुर, रूड़की के पुराने मीटर की एम0आर0आई0, मूल रूप में प्रेषित की जा रही है। साथ ही आपको यह भी अवगत कराना है कि विद्युत परीक्षण खण्ड द्वारा चैक मीटर फाईनल करते समय त्रुटिवश सिलिंग रिपोर्ट में चैक मीटर के सापेक्ष पुराना मीटर फाईनल किया गया, अंकित कर दिया गया था। जिसके उपरान्त अवर अभियन्ता श्रीमती शाहनाज द्वारा सिलिंग रिपोर्ट की छायाप्रति को ठीक करते हुए चैक मीटर के सापेक्ष मेन मीटर 0.20 % तेज पाया गया। अतः चैक मीटर को मेन मीटर के स्थान पर फाईनल कर स्थापित किया गया।

मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री कुनाल शर्मा तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री आकाश सिंह उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी का यह विद्युत संयोजन, 02.00 किलोवाट विद्युत भार पर, दिनांक 30.07.2008 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 28.06.2025 तक एमयू आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं। तदपश्चात दिनांक 28.08.2008 को आरडीएफ तथा दिनांक 29.09.2025 को एमसी आधार पर, विद्युत बिल जारी किए गए हैं

विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 28.06.2025 को जारी विद्युत बिल में दर्शायी गई विद्युत खपत–1552 (2711–1159) यूनिट को, पूर्व में जारी बिलों में दर्ज विद्युत खपत की तुलना में अधिक होने के कथन के साथ विवादित ठहराया गया है। इसी कम में, विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर, दिनांक 07.07.2025 को, चैक मीटर संख्या–जीयू543891 स्थापित किया गया है जिसे दिनांक 13.08.2025 को फाइनल किया गया है। चैक मीटर की फाइनल रिपोर्ट के अनुसार, परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या–जीयू183414, चैक मीटर संख्या–जीयू543891 की तुलना में मात्र 0.20 प्रतिशत तेज पाया गया है जो कि भारतीय मानक ब्यूरो (बी0आई0एस0) द्वारा निर्दिष्ट अनुमेय सीमा के भीतर है। इस प्रकार परिवादिनी के संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या–जीयू183414 पर दर्ज विद्युत खपत/रीडिंग सही/त्रुटिरहित है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 28.08.2025 तथा दिनांक 29.09.2025 को जारी बिलों को निरस्त करते हुए दिनांक 28.06.2025 से दिनांक 13.08.2025 तक की अवधि में मीटर संख्या–जीयू183414 पर दर्ज विद्युत खपत के आधार पर, दिनांक 29.09.2025 को संशोधित बिल जारी किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा गत महीनों में, निम्नानुसार, विद्युत खपत के विद्युत बिल, परिवादिनी को जारी किए गए हैं तथा एमआरआई रिपोर्ट के अनुसार, परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या–जीयू183414 पर, निम्नानुसार विद्युत खपत रिकार्ड की गई है:–

विपक्षी विभाग द्वारा जारी बिल के अनुसार खपत का विवरण					एमआरआई रिपोर्ट के अनुसार खपत का विवरण				
से	तक	माह	खपत	औसत खपत	से	तक	माह	खपत	औसत खपत
26.02.25	28.04.25	02	835	417	01.03.25	01.04.25	01	352	352
					01.04.25	01.05.25	01	416	416
28.04.25	29.05.25	01	87	87	01.05.25	01.06.25	01	837	837
29.05.25	29.06.25	01	1552	1552	01.06.25	01.07.25	01	916	916
29.06.25	28.08.25	01	1241(RDF)	1241	01.07.25	01.08.25	01	1054	1054
28.06.25	13.08.25	1.50	1295	863	01.08.25	13.08.25	0.43	181	431
26.02.25	13.08.25	5.56	3769	678	01.03.25	13.08.25	5.43	3766	690

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादिनी के संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या–जीयू183414 पर, समय–समय में दर्ज विद्युत खपत/रीडिंग के आधार पर बिल जारी नहीं किए गए हैं इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा, मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (2) का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त उल्लंघन के लिए दोषी कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक है ताकी भविष्य में दोषी कार्मिकों की कार्यप्रणाली में सुधार हो सके तथा उपभोक्ताओं को वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर बिल जारी किए जा सकें।

विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 26.02.2025 से दिनांक 13.08.2025 तक, लगभग 5.56 माह की अवधि में, कुल 3769 (678 यूनिट प्रति माह) यूनिट की विद्युत खपत के बिल परिवादिनी को जारी किए गए हैं। एमआरआई रिपोर्ट के अनुसार, परिवादिनी के विद्युत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या–जीयू183414 में, दिनांक 01.03.2025 से दिनांक 13.08.2025 तक, लगभग 5.43 माह की अवधि में कुल 3766 (690 यूनिट प्रति माह) यूनिट की विद्युत खपत, रिकार्ड की गई है जो कि उक्त 3769 की तुलना में सही प्रतीत होती

क्रमशः.....04

है। विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 367 दिनांक 06.10.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर, पूर्व में स्थापित पुराने केबल को, नये केबल द्वारा प्रतिस्थापित करते हुए परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर स्थापित चैक मीटर संख्या–जीयू543891 को, मेन मीटर के रूप में स्थापित/गतिमान रखा गया है जिसे परिवादिनी के विद्युत संयोजन से संबंधित अभिलेखों में दर्ज कर लिया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर पूर्व में गतिमान मीटर संख्या–जीयू183414 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर, विद्युत बिल जारी किए गए हैं जिनमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन किया जाना संभव नहीं है। संयोजन पर पूर्व में स्थापित केबल को नये केबल द्वारा प्रतिस्थापित करते हुए, परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादिनी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद अंशतः स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी के संयोजन पर पूर्व में स्थापित केबल को नये केबल द्वारा प्रतिस्थापित करते हुए, परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादिनी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार) न्यायिक सदस्य	05/12/2025 (जी0 एस0 धर्मसत्तू) तकनीकी सदस्य	05/12/2025 (सतीश उनियाल) उपभोक्ता सदस्य

<u>नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 257/2025 दिनांक : 19.12.2025

परिवादी :– श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री राम बहादूर, मकान सं0 1157, विष्णुलोक कालोनी, अहमदपुर कड़च्च, ज्वालापुर, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री राम बहादूर, मकान सं0 1157, विष्णुलोक कालोनी, अहमदपुर कड़च्च, ज्वालापुर, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–जेडब्लू40760105624, के सन्दर्भ में कथन किया है कि माह 07/2024 में उनका विद्युत बिल रू0. 11882.00 था, जो कि माह 08/2024 को रू0. 58622.00 का, विद्युत विभाग द्वारा बनाया गया। उनके घर के बाहर जो विद्युत मीटर लगा था, वह मीटर खराब था, जिसकी सूचना उनको मीटर रीडर द्वारा दी गयी। जिसके उपरान्त, उनके द्वारा टोल फ्री नं0 1912 पर शिकायत की गई। मीटर रीडर द्वारा जो विद्युत बिल दिया गया, वह अन्य, मीटर का बिल था। मीटर रीडर ने बताया, कि उनके द्वारा, गलत रीडिंग पोस्ट कर दी गई है, मीटर रीडर द्वारा माफिनामा भी दिया गया है, जो कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। उनके द्वारा माह 01/2025 में, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर द्वितीय को लिखित शिकायत दी गई। परन्तु आज तक उनका विद्युत बिल सही नहीं किया गया है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका विद्युत बिल सही करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या 8005 दिनांकित 12.11.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि, नामें श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री राम बहादूर, मकान सं0 1157, विष्णुलोक कालोनी, अहमदपुर कड़च्च, ज्वालापुर, जिला–हरिद्वार के सापेक्ष उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, ज्वालापुर–द्वितीय, द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक 1014 दिनांक 10.11.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि, विद्युत उपभोक्ता हिस्ट्री के अनुसार माह 07/2024, का बिल एनआर में निर्गत किया गया जो कि रू0. 11892.00 था। माह 08/2024, में मीटर रीडर द्वारा मीटर यूनिट (मीटर यूनिट 7543) का बिल बनाया गया जिसका कुल बिल रू0. 58622.00 है। सम्बन्धित उपभोक्ता के द्वारा की गई कम्पलैंट के आधार पर माह 11/2025 में खराब विद्युत मीटर बदल दिया गया था। उपभोक्ता के द्वारा प्रेषित तथ्यों से स्पष्ट नही हो रहा है कि विद्युत बिल किसी अन्य मीटर का है। सम्बन्धित मीटर रीडर द्वारा उपखण्ड कार्यालय में कोई माफीनामा प्रेषित नही किया गया है तथा सम्बन्धित उपभोक्ता द्वारा संलग्न प्रपत्र से कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। उपभोक्ता द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है कि, यह फोटो उपभोक्ता के

क्रमशः.....02

मीटर की नहीं है या अन्य किसी मीटर की है, क्योंकि फोटो में, मीटर नं0, दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर के सभी तथ्यों के स्पष्ट न होने के कारण विद्युत बिल संशोधित नहीं किया जा सकता है।

मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री अमन कुमार क्षेतरिया तथा विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) श्री एस0के0 गौतम उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 02.00 किलोवाट भार पर, दिनांक 26.08.2012 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 16.08.2024 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। तद्पश्चात, दिनांक 31.10.2024 को एनआर, दिनांक 10.02.2025 को एमसी तथा दिनांक 02.06.2025 को एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। परिवादी द्वारा, दिनांक 16.08.2024 को जारी बिल में दर्शायी गई विद्युत बिल की धनराशि रू0 58622.00 को, दिनांक 02.08.2024 को जारी बिल में दर्शायी गई धनराशि रू0 11882.00 की तुलना में अत्यधिक होने के कथन के साथ विवादित ठहराया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, गत वर्षों में, निम्नानुसार, विद्युत खपत के बिल, परिवादी को जारी किए गए हैं:–

मीटर नंबर	अवधि			खपत/रीडिंग का विवरण			
	से	तक	माह	IR (kWh)	FR (kWh)	कुल खपत यू0	औसत खपत यू0/माह
691394	13.04.2020	17.10.2020	06.13	7171	7801	635	104
	17.10.2020	21.04.2021	06.13	7801	8081	280	46
	21.04.2021	14.10.2021	05.76	8081	8435	354	61
	14.10.2021	19.04.2022	06.16	8435	8791	356	58
	19.04.2022	30.12.2022	08.36	8791	9218	427	51
	30.12.2022	10.10.2023	09.33	9218	10110	892	96
	13.04.2020	10.10.2023	54	7171	10110	2939	54
	10.10.2023	16.08.2024	10.20	10110	17653	7543	740
जीयू386366	19.11.2024	02.06.2025	06.43	1316	1637	321	50

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा, मीटर संख्या–691394 के माध्यम से, दिनांक 13.04.2020 से दिनांक 10.10.2023 तक, लगभग 54 माह की अवधि में, औसतन, 54 यूनिट प्रति माह की दर से, विद्युत खपत दर्ज की गई है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 10.10.2023 से दिनांक 16.08.2024 तक लगभग 10.20 माह की अवधि हेतु, कुल 7543 (17653–10110) यूनिट की विद्युत खपत का बिल जारी किया गया है। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा उक्त 10.20 माह की अवधि हेतु, औसतन 740 यूनिट प्रति माह की दर से विद्युत बिल, परिवादी को जारी किए गए हैं जो कि उक्त 54 यूनिट प्रति माह की तुलना में 1270.37 प्रतिशत अधिक है। परिवादी द्वारा मीटर संख्या–जीयू386366 के माध्यम से, दिनांक 19.11.2024 से दिनांक 02.06.2025 तक, लगभग 6.43 माह की अवधि में, कुल 321 (1637–1316) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 6.43 माह की अवधि में, औसतन 50 यूनिट प्रति माह की दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि उक्त 54 यूनिट प्रति माह की दर में सही प्रतीत होता है तथा 740 यूनिट प्रति माह की तुलना में, 93.24 प्रतिशत कम है।

पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से विदित होता है कि जिस विद्युत मीटर पर

क्रमशः.....03

रीडिंग / खपत 17653 केडब्लूएच अंकित है वह लोकेशन-लैटीट्यूडः 29.9264925 तथा लौंगीट्यूडः 78.121743 पर स्थापित किया गया है। जबकि परिवादी के संयोजन, लैटीट्यूडः 29.56002एन तथा लौंगीट्यूडः 78.06408ई पर स्थित है। जिससे स्पष्ट होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा किसी अन्य संयोजन पर गतिमान मीटर पर दर्ज विद्युत खपत / रीडिंग-17653 केडब्लूएच, त्रुटिवश परिवादी के बिल में दर्ज करते हुए बिल जारी किया गया है जो कि सही प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 16.08.2024 को जारी बिल में दर्शायी गई मीटर रीडिंग / खपत त्रुटिपूर्ण है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 30.12.2023 से दिनांक 02.06.2025 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 10.10.2023 से दिनांक 19.11.2024 तक की अवधि हेतु, पूर्व में एमयू आधार पर जारी तीन बिलिंग चक्रों के सापेक्ष दर्ज औसत मासिक विद्युत विद्युत खपत के आधार पर तथा दिनांक 19.11.2024 से दिनांक 02.06.2025 तक की अवधि हेतु, परिवादी के उक्त संयोजन पर वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या—जीयू386366 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर, विलंब अधिभार रहित संशोधित बिल, परिवादी को जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह दिनांक 30.12.2023 से दिनांक 02.06.2025 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 10.10.2023 से दिनांक 19.11.2024 तक की अवधि हेतु, पूर्व में एमयू आधार पर जारी तीन बिलिंग चक्रों के सापेक्ष दर्ज औसत मासिक विद्युत विद्युत खपत के आधार पर तथा दिनांक 19.11.2024 से दिनांक 02.06.2025 तक की अवधि हेतु, परिवादी के उक्त संयोजन पर वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या—जीयू386366 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर, विलंब अधिभार रहित, संशोधित बिल, परिवादी को जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

19/12/2025 19/12/2025

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 258 / 2025 दिनांक : 05.12.2025

परिवादी :– श्री दिनेश कुमार केयर ऑफ श्री आलोक त्यागी पुत्र श्री चन्द किरन त्यागी, गली नं0 03, डिफैन्स कालोनी, रूड़की, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री दिनेश कुमार, केयर ऑफ, श्री आलोक त्यागी पुत्र श्री चन्द किरन त्यागी, गली नं0 03, डिफैन्स कालोनी, रूड़की, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–आरडी69999855661, स्वीकृत भार 06 किलोवाट के सन्दर्भ में कथन किया है कि उनका उक्त विद्युत कनैक्शन अस्थाई विद्युत कनैक्शन है जो कि दिनेश कुमार पुत्र श्री केशव राम के नाम से ग्राम दहियाकी, पो0 मंगलौर पर, माह जुलाई 2023 में लिया था। उन्होंने विद्युत बिल, माह 23.10.2024 में, 15501 रीडिंग तक जमा करा दिया था। इसके बाद काफी समय तक उनको कोई बिल प्राप्त नहीं हुआ और माह जुलाई 2025 में फिर से 17634 यूनिट का बिल, रू0. 164958.00 बना दिया गया, जबकि उनके द्वारा दिनांक 23.10.2024 को 15501 यूनिट तक का बिल जमा किया जा चुका था। उनके अनुसार विद्युत बिल कुल यूनिट 17634–15501=2133 का दिया जाना था। लेकिन उनको गलत बिल दिया गया। जिसे ठीक कराने के लिए उनके द्वारा उपखण्ड कार्यालय मंगलौर से सम्पर्क किया गया लेकिन उनका बिल ठीक करने के बजाय फिर से माह अगस्त 2025 में रू0. 179516.00 का विद्युत बिल बना दिया गया, जो कई बार विद्युत विभाग के चक्कर लगाने पर भी ठीक नहीं किया गया है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल वर्तमान रीडिंग के अनुसार, सरचार्ज रहित ठीक करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या 7362 दिनांकित 12.11.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन संख्या–आरडी69999855661, श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री केशवराम, ग्राम दहियाकी, मंगलौर, रूड़की, जिला हरिद्वार के नाम पर, 06 कि0वा0-अस्थायी संयोजन, दिनांक 28.07.2023 को निर्गत किया गया था। उपरोक्त विद्युत संयोजन के सम्बंध में अवगत कराना है कि उक्त संयोजन के सापेक्ष परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक संख्या 9145528 की एमआरआई रिपोर्ट में दर्ज विद्युत खपत रीडिंग 18325 केडब्लूएच के आधार पर, आरएपीडीआरपी प्रणाली के माध्यम से बीजक को, संशोधित कर दिया गया है। उक्त विद्युत संयोजन का बीजक, संशोधित किये जाने के उपरान्त, रू0. 23708.00 धनराशि है, जो कि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

क्रमशः.....02

मंच के समक्ष परिवादी अनुपस्थित तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री मोहम्मद रिजवान उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 06.00 किलोवाट विद्युत भार पर, RTS-9, Non Domestic (Construction) विधा के अंतर्गत, दिनांक 28.07.2023 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 06.08.2025 तक, एमयू आधार पर, विद्युत बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 11.10.2024 तक, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या–9145528 में दर्ज खपत/रीडिंग–15501 केडब्लूएच के आधार पर जारी बिलों का भुगतान परिवादी द्वारा किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 21.07.2025 को जारी बिल में, निम्नानुसार, विद्युत खपत/रीडिंग दर्शायी गई है:–

दिनांक	मीटर रीडिंग/खपत	
	kWh	kVah
11.07.2025	17634	17634
11.10.2024	15501	00
कुल खपत	**2133**	**17634**

उपरोक्त मीटर रीडिंग/खपत के आधार पर, विपक्षी विभाग द्वारा, केडब्लूएच के सापेक्ष दर्ज विद्युत खपत–2133 यूनिट के स्थान पर, केवीएएच के सापेक्ष दर्ज विद्युत खपत–17634 यूनिट की विद्युत खपत का बिल परिवादी को जारी किया गया है जो कि नियमानुसार त्रुटिपूर्ण है। इसी प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 06.08.2025 को जारी बिल भी, केडब्लूएच के सापेक्ष दर्ज विद्युत खपत–526 यूनिट के स्थान पर, केवीएएच के सापेक्ष दर्ज विद्युत खपत–1410 यूनिट का बिल, परिवादी को जारी किया गया है जो कि सही प्रतीत नहीं होता है। इसी कम में विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 7362 दिनांक 12.11.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या–9145528 में दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर, दिनांक 05.07.2024 से दिनांक 06.08.2025 तक की अवधि में, केडब्लजूएच के सापेक्ष दर्ज कुल विद्युत खपत–3527 यूनिट के आधार पर, संशोधित बिल, परिवादी को जारी कर दिया गया है जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत बिलिंग हिस्ट्री एवं लेजर की सत्यापित प्रति से होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 11.10.2024, दिनांक 21.07.2025 तथा दिनांक 06.08.2025 को जारी बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 05.07.2024 से दिनांक 06.08.2025 तक की अवधि में, परिवादी द्वारा, केडब्लूएच के सापेक्ष की गई वास्तविक विद्युत खपत–3527 यूनिट के आधार पर, संशोधित बिल, परिवादी को जारी करते हुए, परिवादी की उक्त शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर देने के फलस्वरूप परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80,

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 261/2025 दिनांक : 12.12.2025

परिवादी :– श्री प्रदीप कुमार, पता–प्लाट नं0–22, खसरा नं0 434, हरिधाम सोसायटी, ग्राम–शांतरशाह, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री प्रदीप कुमार, पता–प्लाट नं0–22, खसरा नं0 434, हरिधाम सोसयटी, ग्राम–शांतरशाह, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–जेडब्लू11239920661, स्वीकृत भार 02 किलोवाट के सन्दर्भ में कथन किया है कि विद्युत विभाग द्वारा की गई अनियमित मीटर रीडिंग के सम्बंध में शिकायत है कि उनको बिल समय से प्राप्त नहीं हो रहे हैं। कोई माह/दिनांक निश्चित नहीं है, उन्हें अगस्त 2025 के बाद अक्टूबर 2025 में, दो महीने का बिल मिला, जिसके कारण उन्हें दो महीने की संयुक्त कुल खपत का अधिक दर से बिल जारी किया गया। अतः मंच से अनुरोध है कि विद्युत विभाग को आदेशित किया जाए कि हर माह उन्हें विद्युत बिल प्रेषित किये जाएं।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या 8094 दिनांकित 17.11.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि वादी के संयोजन जेडब्लू11239920661, श्री प्रदीप कुमार, पता–प्लाट नं0–22, खसरा नं0 434, हरिधाम सोसयटी, ग्राम–संतरशाह, जिला–हरिद्वार, विधा–घरेलू, स्वीकृत भार–02 कि0वा0, संयोजन दिनांक 09.04.2024 से चला आ रहा है। जिसमें मीटर संख्या जीयू171393 स्थापित है। वादी को उक्त संयोजन, मीटर नं0 जीयू171393 का माह 09/2025, अवधि दिनांक 23.08.2025 से दिनांक 23.09.2025 तक (जारी करने का दिनांक 01.10.2025) एनए के आधार पर 196 यूनिट व रू0. 1039/– निर्गत किया गया था। जिसका भुगतान वादी द्वारा दिनांक 04.10.2025 को कर दिया गया है। वादी को माह 10/2025, अवधि दिनांक 23.09.2025 से दिनांक 22.10.2025 तक (जारी करने का दिनांक 22.10.2025), मीटर यूनिट के आधार पर 482 यूनिट व Maximum Demand–1.15 केडब्लू का, रू0. 1817.00 निर्गत किया गया था। उक्त बिल में माह 09/2025 के एनए बिल के लिए Provisional Adjustment रू0. 898.40 किया गया। उक्त बिल का भुगतान वादी द्वारा दिनांक 29.10.2025 को कर दिया गया है।

मंच के समक्ष परिवादी अनुपस्थित तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अक्षय कपिल उपस्थित हुए।

क्रमशः.....02

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 02.00 किलोवाट भार पर, दिनांक 09.04.2025 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 23.08.2025 तक, एमयू आधार पर, दिनांक 01.10.2025 को एनआर आधार पर तथा दिनांक 25.10.2025 को एमयू आधार पर, विद्युत बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 01.01.2025 को, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या–जीयू171393 पर, दर्ज विद्युत खपत/रीडिंग का संज्ञान लिए बिना, एनआर आधार पर बिल जारी किए जाने तथा निश्चित समयांतराल पर, मीटर रीडिंग न लिए जाने के कथन के साथ, परिवादी द्वारा विवादित ठहराया गया है। परिवादी द्वारा प्रश्नगत विद्युत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या–जीयू171393 के माध्यम से, निम्नानुसार, विद्युत खपत दर्ज की गई है:–

अवधि			विद्युत खपत/रीडिंग का विवरण			
से	तक	माह	IR(kwh)	FR(kwh)	कुल खपत (kwh)	औसत खपत/ (kwh)
09.04.25	25.06.25	2.53	00	491	491	194
25.06.25	26.07.25	01	491	747	256	256
26.07.25	23.08.25	0.90	747	979	232	232
23.08.25	01.10.25	1.26	979	979	196	एनआर
23.08.25	22.10.25	02	979	1461	482	241

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा, दिनांक 25.06.2025 से दिनांक 22.10.2025 तक की अवधि में औसतन 232 यूनिट प्रति माह से 256 यूनिट प्रति माह तक की विद्युत खपत की गई है तथा उक्त अवधि में, परिवादी द्वारा की गई विद्युत खपत का पैटर्न, लगभग समान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 22.10.2025 को एमयू आधार पर जारी बिल में, पूर्व में एनआर आधार पर जारी बिल के माध्यम से आरोपित विद्युत मूल्य (EC) तथा विद्युत कर (ED) का समायोजन, नियमानुसार, दिया गया है। मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (7) के अनुसार, विपक्षी विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाना है कि लगातार दो बिलिंग चक्रों से अधिक चक्रों हेतु, एनआर/एनए/आईडीएफ/आरडीएफ आधार पर, अनंतिम बिल जारी न किए जाएं। विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या–जीयू171393 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत/रीडिंग के आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (2/7) के अनुसार, विद्युत बिल परिवादी को जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा, भविष्य में भी, मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 के अंतर्गत किए गए प्राविधानों का अनुपालन करते हुए, परिवादी को विद्युत बिल जारी किया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

क्रमशः.....03

आदेश

विपक्षी विभाग को निर्णय निकाय में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के निर्देश के साथ परिवादी का यह परिवाद स्वीकार किए जाने योग्य न होने के परिणामस्वरूप खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

12/12/2025

12/12/2025

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 262/2025 दिनांक : 19.12.2025

परिवादी :– श्रीमती रश्मि पत्नी श्री अमित धीमान, पता–खसरा नं0–956, वार्ड–60, हरिलोक हाईवे ग्रीन कॉलोनी, रामानंद कॉलेज के पास, हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती रश्मि पत्नी श्री अमित धीमान, पता–खसरा नं0–956, वार्ड–60, हरिलोक हाईवे ग्रीन कॉलोनी, रामानंद कॉलेज के पास, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–जेडब्लू11295821963, के सन्दर्भ में कथन किया है कि जबसे उनके परिसर में नया मीटर लगा है तब से मीटर की रीडिंग ज्यादा आ रही है और अब उपभोक्ता पर नये चार्ज भी लग रहे हैं जिसकी खबर उपभोक्ता को नहीं दी जाती है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनके परिसर पर पुराना मीटर लगवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या 8093 दिनांकित 17.11.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि वादी का संयोजन जेडब्लू11295821963, नामें श्री रश्मि पत्नी श्री अमित धीमान, खसरा नं0–956, वार्ड नं0–60, हरिलोक, हाईवे ग्रीन कालोनी, ज्वालापुर, विधा–घरेलू, स्वीकृत भार–03 किलोवाट, संयोजन दिनांक 09.07.2024 से चला आ रहा है। दिनांक 16.05.2025 को वादी के संयोजन जेडब्लू11295821963 पर स्मार्ट मीटर संख्या 5590129 स्थापित किया गया था।

वादी को संयोजन जेडब्लू11295821963 मीटर नं0 5590129 का माह 06/2025, अवधि दिनांक 19.04.2025 से दिनांक 01.06.2025 तक (जारी करने का दिनांक 06.06.2025), मीटर यूनिट के आधार पर, 231 यूनिट व Maximum Demand 0.69 KW (as per smart meter) का, रू0. 1446.00 (मय ASD) निर्गत किया गया था, जिसका भुगतान वादी द्वारा दिनांक 10.06.2025 को कर दिया गया।

वादी को संयोजन जेडब्लू11295821963 मीटर नं0 5590129 का माह 07/2025, अवधि दिनांक 01.06.2025 से दिनांक 01.07.2025 तक (जारी करने का दिनांक 06.07.2025), मीटर यूनिट के आधार पर, 80 यूनिट व Maximum Demand 0.64 KW का, रू0. 572.00 निर्गत किया गया था। जिसका भुगतान वादी द्वारा दिनांक 07.07.2025 को कर दिया गया।

वादी को संयोजन जेडब्लू11295821963 मीटर नं0 5590129 का माह 08/2025, अवधि दिनांक 01.07.2025 से दिनांक 01.08.2025 तक (जारी करने का दिनांक 07.08.2025), मीटर यूनिट के आधार पर, 257 यूनिट व Maximum Demand 2.02 KW का, रू0. 1412.00 निर्गत किया गया था, जिसका भुगतान वादी द्वारा दिनांक 11.08.2025 को कर दिया गया।

क्रमशः.....02

वादी को संयोजन जेडब्लू11295821963 मीटर नं0 5590129 का माह 09/2025, अवधि दिनांक 01.08.2025 से दिनांक 01.09.2025 तक (जारी करने का दिनांक 04.09.2025), मीटर यूनिट के आधार पर, 275 यूनिट व Maximum Demand 2.01 KW का, रू0. 1735.00 निर्गत किया गया था। जिसका भुगतान वादी द्वारा दिनांक 09.07.2025 को कर दिया गया।

वादी को संयोजन जेडब्लू11295821963 मीटर नं0 5590129 का माह 10/2025, अवधि दिनांक 01.09.2025 से दिनांक 01.10.2025 तक (जारी करने का दिनांक 10.10.2025), मीटर यूनिट के आधार पर, 434 यूनिट व Maximum Demand 2.51 KW का, रू0. 2986.00 निर्गत किया गया था, जिसका भुगतान वादी द्वारा दिनांक 16.10.2025 को कर दिया गया।

मंच को अवगत कराना है कि Electricity Duty 15 पैसे कार्यालय ज्ञाप संख्या 266/उपाकालि/कॉम/ए–4 दिनांक 02.02.2016 के अनुसार विद्युत बिल में लिये जा रहे है। तथा विद्युत बिल में ASD समय–समय पर, मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), उपाकालि, के कार्यालय पत्रांक 1760/ UPCL/RM/B-15 dated 03-04-2025 के अनुसार FPPA Surcharge लिए गये है।

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), उपाकालि, के कार्यालय पत्रांक 3249/ UPCL/RM/B-15 dated 03-05-2025 के अनुसार FPPA Rebate दी गयी है।

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), उपाकालि, के कार्यालय पत्रांक 3881/ UPCL/RM/B-15 dated 04-06-2025 के अनुसार FPPA Surcharge लिये गये है।

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), उपाकालि, के कार्यालय पत्रांक 4417/ UPCL/RM/B-15 dated 04-07-2025 के अनुसार FPPA Rebate दी गयी है।

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), उपाकालि, के कार्यालय पत्रांक 5014/ UPCL/RM/B-15 dated 02-08-2025 के अनुसार FPPA Surcharge लिये गये है।

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), उपाकालि, के कार्यालय पत्रांक 7380/ UPCL/RM/B-15 dated 03-09-2025 के अनुसार FPPA Surcharge लिये गये है।

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), उपाकालि, के कार्यालय पत्रांक 8017/ UPCL/RM/B-15 dated 04-10-2025 के अनुसार FPPA Surcharge लिये जायेंगे।

अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपभोक्ता को मीटर रीडिंग व डिमाण्ड के आधार पर विद्युत बिल प्रेषित किये जा रहे है तथा उपभोक्ता का यह कहना कि नया मीटर जब से लगा है तब से मीटर रीडिंग ज्यादा आ रही है। यह कथन पूर्णतया गलत है।

अतः स्पष्ट है कि Electricity Duty व FPPA Surcharge कारपोरेशन के अदेशानुसार लिए जा रहे है। तथा प्रत्येक विद्युत बिल में स्पष्ट जानकारी दी जा रही है। अतः उपभोक्ता का यह केहना कि अब तो नये चार्ज भी जगने शुरू हो गये है जिसकी उपभोक्ता को खबर नही मिलती है। यह कथन पूर्णतया गलत है।

उक्त से स्पष्ट है कि उपभोक्ता द्वारा गलत कथन किये गये हैं। जबकि उपभोक्ता को विद्युत बिल में विभिन्न चार्जो की पूर्णतया जानकारी प्रदान की जा रही है तथा उपभोक्ता को जारी किये गये विद्युत बिल पूर्णतया सही है।

मंच के समक्ष परिवादिनी अनुपस्थित तथा विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता(राजस्व) श्री एस0के0 गौतम उपस्थित हुए।

क्रमशः.....03

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी का यह विद्युत संयोजन, 03.00 किलोवाट विद्युत भार पर, दिनांक 09.07.2024 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 10.10.2025 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादिनी के उक्त विद्युत संयोजन पर, पूर्व में गतिमान मीटर संख्या–10239080 को, दिनांक 16.05.2025 को, स्मार्ट मीटर संख्या–5590129 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा गत महिनों में, निम्नानुसार, विद्युत खपत के बिल, परिवादिनी को जारी किए गए हैं:–

मीटर संख्या	अवधि			खपत/रीडिंग का विवरण	
	से	तक	माह	कुल खपत यू0	औसत खपत यू0/माह
239080	28.10.2024	26.11.2024	0.93	132	141
	26.11.2024	21.12.2024	0.83	137	165
	21.12.2024	25.01.2025	1.13	210	186
	25.01.2025	19.02.2025	0.80	135	169
	19.02.2025	17.03.2025	0.92	141	153
	17.03.2025	19.04.2025	1.06	197	186
	19.04.2025	16.05.2025	0.90	162	147
	28.10.2024	**16.05.2025**	**6.60**	**1114**	**169**
5590129	16.05.2025	06.06.2025	0.66	69	105
	06.06.2025	16.07.2025	01	80	80
	16.05.2025	**06.07.2025**	**1.66**	**149**	**90**
	06.07.2025	07.08.2025	01	257	257
	07.08.2025	04.09.2025	0.90	275	305
	04.09.2025	10.10.2025	1.20	434	361
	06.07.2025	**10.10.2025**	**4.12**	**966**	**202**
	16.05.2025	**10.10.2025**	**4.80**	**1115**	**232**

उपरोक्त विवरण से स्पष्टहोता है कि परिवादिनी द्वारा, मीटर संख्या–10239080 के माध्यम से, दिनांक 28.10.2024 से दिनांक 16.05.2025 तक, लगभग 6.60 माह की अवधि में, कुल 1114 (1217–103) यूनिट की विद्युत खपत की गई है इस प्रकार, परिवादिनी द्वारा उक्त 6.60 माह की अवधि में, औसतन 169 यूनिट प्रति माह की दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है। परिवादिनी द्वारा, स्मार्ट मीटर संख्या–5590129 के माध्यम से, दिनांक 16.05.2025 से दिनांक 06.07.2025 तक, लगभग 1.66 माह की अवधि में कुल 149 (149–00) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादिनी द्वारा उक्त 1.66 माह की अवधि में,

क्रमशः.....04

लगभग 90 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपतदर्ज की गई है जो कि उक्त 169 यूनिट प्रति माह की तुलना में 46.75 प्रतिशत कम है। परिवादिनी द्वारा, दिनांक 06.07.2025 से दिनांक 10.11.2025 तक की अवधि में, 257 यूनिट प्रति माह सो 361 यूनिट प्रति माह तक की औसत दर से विद्युत खपत की गई है जो कि उक्त 169 यूनिट प्रति माह की तुलना में, क्रमशः 52.07 प्रतिशत एवं 113.61 प्रतिशत अधिक है तथा उक्त 90 यूनिट प्रति माह की तुलना में, क्रमशः 185.55 प्रतिशत एवं 301.11 प्रतिशत अधिक है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 07.08.2025, दिनांक 04.09.2025 तथा 10.10.2025 को जारी बिलों में दर्शायी गई विद्युत खपत, पूर्व में जारी बिलों की तुलना में अधिक है। परिवादिनी द्वारा स्मार्ट मीटर संख्या—5590129 की शुद्धता पर व्यक्त की गई आशंका के समाधान हेतु, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादिनी के उक्त संयोजन पर, चैक मीटर स्थापित किए जाने तथा चैक मीटर की फाइनल रिपोर्ट के आधार पर, परिवादिनी की शंकाओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विद्युत विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादिनी द्वारा, स्मार्ट मीटर संख्या—5590129 की शुद्धता पर व्यक्त की गई आशंका के समाधान हेतु, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादिनी के उक्त संयोजन पर, चैक मीटर स्थापित किए जाने तथा चैक मीटर की फाइनल रिपोर्ट के आधार पर, परिवादिनी की शंकाओं का समाधान करना सुनिश्चित करे। विद्युत विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

	19/12/2025	19/12/2025
(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

<u>नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 263/2025 दिनांक : 12.12.2025

परिवादी :– श्रीमती दीप माला भाटिया पत्नी श्री प्रवेश भाटिया, दुकान स्थित मां चण्डी देवी परिसर, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती दीप माला भाटिया पत्नी श्री प्रवेश भाटिया, निवासी–पंजाब सिंध क्षेत्र कनखल, तहसील व जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–6961323125140, के सन्दर्भ में कथन किया है कि वह वह मां चण्डी देवी मन्दिर परिसर, ग्राम चण्डी, तहसील व जिला हरिद्वार में निम्नवर्णित सम्पत्ति पर वर्षो से किरायेदार चला आता है। प्रश्नगत दुकान में उनके नाम से उक्त एक विद्युत कनैक्शन चला आता था। पिछले कुछ समय से मां चण्डी देवी मन्दिर के मैनेजमेंट के सम्बन्ध में मन्दिर के महंतों/ट्रस्टियों में आपसी विवाद चल रहा है, जिसके सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में दो सिविल अपील सं0 35/2017 व 37/2017, मां चण्डी देवी टैम्पल ट्रस्ट बनाम मंहत रोहित गिरी, विचाराधीन है जिसमे दिनांक 17.03.2017 को माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा मन्दिर सम्पत्ति पर यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित किए गए हैं। कुछ दिन पूर्व विपक्षी विभाग ने बिना कोई नोटिस दिये गलत व अवैध रूप से उनका विद्युत कनैक्शन अवरूद्ध कर दिया है। विधि व्यवस्था है कि पानी, बिजली की सुविधा जीवन की मूलभूत सुविधा है, जिसके अभाव मे कार्य करना व रहना आज के युग में असम्भव है तथा किरायेदार या अध्यासी सम्पत्ति पर अपने नाम से विद्युत कनैक्शन लेने का अधिकारी है और ऐसा विद्युत कनेक्शन मालिक के एतराज पर भी अवरूद्ध नही किया जा सकता है। प्रश्नगत विद्युत कनैक्शन अवरूद्ध हो जाने की स्थिति मे उनको भारी कठिनाई उठानी पड़ रही है तथा अपूर्णीय क्षति हो रही है। विपक्षी विभाग के अधिकारियों से उन्होने इस सम्बन्ध में कनैक्शन पुनः जोड़ने का अनुरोध किया परन्तु विपक्षी विभाग व उसके अधीनस्थ कर्मचारी, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अतः मंच से अनुरोध है कि विपक्षी विभाग को आदेश दिया जाये कि उक्त वर्णित सम्पत्ति पर चला आ रहा विद्युत कनैक्शन जोड़कर संचालित करा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या 3066 दिनांकित 18.11.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि प्रभागीय वनाधिकारी (हरिद्वार वन विभाग) के पत्रांक–798/29–1

क्रमशः.....02

दिनांक 11.08.2025 द्वारा अवगत कराया गया था कि चण्डी देवी मन्दिर परिसर में वन भूमि पर अवैध रूप से 40 दुकाने संचालित की जा रही थी। एवं इन संयोजनों की विद्युत आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से रोकने हेतु अनुरोध किया गया था। जिसके उपरान्त श्रीमती दीप माला भाटिया के संयोजन संख्या–6961323125140 (बकाया धनराशि रू0 32424) को विच्छेदित किया गया। उक्त शिकायतकर्ता द्वारा यदि वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाता है एवं बकाया धनराशि जमा करा दी जाती है, तो संयोजन पुनः संयोजित कर दिया जाएगा।

मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्रीमती पूनम कश्यप तथा विपक्षी की ओर से अवर अभियन्ता श्री निमेष वर्मा उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी का यह विद्युत संयोजन, 1.00 किलोवाट विद्युत भार पर, दिनांक 08.11.2015 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 15.07.2025 तक, एमयू आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से विदित होता है कि मां चण्डी देवी मंदिर परिसर हेतु, लीज नोटिफिकेशन संख्या–1285 दिनांक 05.12.1927 द्वारा वन भूमि लीज पर दी गई है। परिवादी के कथनानुसार, मां चण्डी देवी मंदिर परिसर में स्थित प्रश्नगत सम्पत्ति पर किरायेदार के रूप में काबिज है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त प्रश्नगत परिसर पर, विद्युत संयोजन संख्या–6961323125140, विद्युत मीटर संख्या–यू423020 के माध्यम से निर्गत किया गया है।

पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों से विदित होता है कि मां चण्डी देवी मंदिर परिसर के प्रबंधन के संबंध में, मंदिर के महंतों/ट्रस्टियों के मध्य उत्पन्न विवाद, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में सिविल अपील संख्या–35/2017 एवं 37/2017, मां चण्डी देवी टेंम्पल ट्रस्ट बनाम महंत रोहित गिरी विचाराधीन है तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा, दिनांक 17.03.2017 को यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किए गए हैं। प्रभारी वनाधिकारी, वन प्रभाग हरिद्वार द्वारा, पत्रांक 798/29–1, दिनांक 11.08.2025 के माध्यम से, विपक्षी विभाग को सूचित किया गया है कि मां चण्डी देवी परिसर में, वन भूमि पर अवैध रूप से संचालित की जा रही दुकानों की विद्युत आपूर्ति तत्काल प्रभाव से रोकने की कार्यवाही की जाए।

उक्त पत्र का संज्ञान लेते हुए परिवादी के परिसर/दुकान की विद्युत आपूर्ति, विपक्षी विभाग द्वारा विच्छेदित की गई है। प्रभारी वनाधिकारी द्वारा, उक्त पत्र के माध्यम से, श्री भवानी नंदन निवासी चण्डी देवी मंदिर, श्यामपुर हरिद्वार को सूचित किया गया है कि प्रश्नगत मां चण्डी देवी मंदिर परिसर पर संचालित 40 दुकानों का, तत्काल, ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाए। अन्यथा लीज की शर्तों का उल्लंघन किए जाने के परिणामस्वरूप, उक्त लीज नोटिफिकेशन संख्या–1285 दिनांक 05.12.1927 के निरस्तीकरण हेतु, भारत सरकार को पत्र प्रेषित कर दिया जाएगा। परिवादी द्वारा दाखिल प्रपत्र दिनांक 18.06.2025 से विदित होता है कि मां चण्डी देवी टेम्पल ट्रस्ट बनाम महंत रोहित गिरी के संबंध में सिविल अपील संख्या–35/2017 एवं 37/2017, मां चण्डी देवी टेंम्पल ट्रस्ट बनाम महंत रोहित गिरी मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में विचाराधीन है तथा वन विभाग द्वारा प्रश्नगत मां चण्डी देवी मंदिर परिसर की लीज समाप्त नहीं की गई है और न ही परिवादी के परिसर /दुकान को ध्वस्त किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी को मूलभूत सुविधा हेतु निर्गत विद्युत संयोजन पर विद्युत आपूर्ति जारी रखा जाना उचित होगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी विधि सम्मत आदेश प्राप्त न हों।

क्रमशः.....03

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि परिवादिनी को मूलभूत सुविधा हेतु निर्गत विद्युत संयोजन पर विद्युत आपूर्ति जारी रखें जब तक कि सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी विधि सम्मत आदेश प्राप्त न हों। विद्युत विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

12/12/2025

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

12/12/2025

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 264 / 2025 दिनांक : 12.12.2025

परिवादी :– श्रीमती रेनू पत्नी श्री चन्द्र कुमार सिंह, चण्डीघाट, मां चण्डी देवी परिसर, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती रेनू पत्नी श्री चन्द्र कुमार सिंह, चण्डीघाट, मां चण्डी देवी परिसर, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–6961323685115 के सन्दर्भ में कथन किया है कि वह मां चण्डी देवी मन्दिर परिसर, ग्राम चण्डी, तहसील व जिला हरिद्वार में निम्नवर्णित सम्पत्ति पर वर्षो से किरायेदार चला आता है। प्रश्नगत दुकान में उनके नाम से उक्त एक विद्युत कनैक्शन चला आता था। पिछले कुछ समय से मां चण्डी देवी मन्दिर के मैनेजमेंट के सम्बन्ध में मन्दिर के महंतों / ट्रस्टियों में आपसी विवाद चल रहा है, जिसके सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में दो सिविल अपील सं0 35 / 2017 व 37 / 2017, मां चण्डी देवी टैम्पल ट्रस्ट बनाम मंहत रोहित गिरी, विचाराधीन है जिसमे दिनांक 17.03.2017 को माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा मन्दिर सम्पत्ति पर यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित किए गए हैं। कुछ दिन पूर्व विपक्षी विभाग ने बिना कोई नोटिस दिये गलत व अवैध रूप से उनका विद्युत कनैक्शन अवरूद्ध कर दिया है। विधि व्यवस्था है कि पानी, बिजली की सुविधा जीवन की मूलभूत सुविधा है, जिसके अभाव मे कार्य करना व रहना आज के युग में असम्भव है तथा किरायेदार या अध्यासी सम्पत्ति पर अपने नाम से विद्युत कनैक्शन लेने का अधिकारी है और ऐसा विद्युत कनेक्शन मालिक के एतराज पर भी अवरूद्ध नही किया जा सकता है। प्रश्नगत विद्युत कनैक्शन अवरूद्ध हो जाने की स्थिति मे उनको भारी कठिनाई उठानी पड़ रही है तथा अपूर्णीय क्षति हो रही है। विपक्षी विभाग के अधिकारियों से उन्होने इस सम्बन्ध में कनैक्शन पुनः जोड़ने का अनुरोध किया परन्तु विपक्षी विभाग व उसके अधीनस्थ कर्मचारी, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अतः मंच से अनुरोध है कि विपक्षी विभाग को आदेश दिया जाये कि उक्त वर्णित सम्पत्ति पर चला आ रहा विद्युत कनैक्शन जोड़कर संचालित करा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या 3067 दिनांकित 18.11.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि प्रभागीय वनाधिकारी (हरिद्वार वन विभाग) के पत्रांक–798 / 29–1 दिनांक 11.08.2025 द्वारा अवगत कराया गया था कि चण्डी देवी मन्दिर परिसर में वन भूमि पर अवैध रूप से 40 दुकाने संचालित की जा रही थी। एवं इन संयोजनों की विद्युत आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से

क्रमशः.....02

रोकने हेतु अनुरोध किया गया था। जिसके उपरान्त श्रीमती रेनू के संयोजन संख्या–6961323685115 को विच्छेदित किया गया। उक्त शिकायतकर्ता द्वारा यदि वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाता है, तो संयोजन पुनः संयोजित कर दिया जाएगा।

मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्रीमती पूनम कश्यप तथा विपक्षी की ओर से अवर अभियन्ता श्री निमेष वर्मा उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी का यह विद्युत संयोजन, 1.00 किलोवाट विद्युत भार पर, दिनांक 22.03.2025 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 28.04.2025 तक, एमयू आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से विदित होता है कि मां चण्डी देवी मंदिर परिसर हेतु, लीज नोटिफिकेशन संख्या–1285 दिनांक 05.12.1927 द्वारा वन भूमि लीज पर दी गई है। परिवादी के कथनानुसार, मां चण्डी देवी मंदिर परिसर में स्थित प्रश्नगत सम्पत्ति पर किरायेदार के रूप में काबिज है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त प्रश्नगत परिसर पर, विद्युत संयोजन संख्या–6961323685115, विद्युत मीटर संख्या--जीयू169892 के माध्यम से निर्गत किया गया है।

पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों से विदित होता है कि मां चण्डी देवी मंदिर परिसर के प्रबंधन के संबंध में, मंदिर के महंतों / ट्रस्टियों के मध्य उत्पन्न विवाद, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में सिविल अपील संख्या–35 / 2017 एवं 37 / 2017, मां चण्डी देवी टेंम्पल ट्रस्ट बनाम महंत रोहित गिरी विचाराधीन है तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा, दिनांक 17.03.2017 को यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किए गए हैं। प्रभारी वनाधिकारी, वन प्रभाग हरिद्वार द्वारा, पत्रांक 798 / 29–1, दिनांक 11.08.2025 के माध्यम से, विपक्षी विभाग को सूचित किया गया है कि मां चण्डी देवी परिसर में, वन भूमि पर अवैध रूप से संचालित की जा रही दुकानों की विद्युत आपूर्ति तत्काल प्रभाव से रोकने की कार्यवाही की जाए।

उक्त पत्र का संज्ञान लेते हुए परिवादी के परिसर / दुकान की विद्युत आपूर्ति, विपक्षी विभाग द्वारा विच्छेदित की गई है। प्रभारी वनाधिकारी द्वारा, उक्त पत्र के माध्यम से, श्री भवानी नंदन निवासी चण्डी देवी मंदिर, श्यामपुर हरिद्वार को सूचित किया गया है कि प्रश्नगत मां चण्डी देवी मंदिर परिसर पर संचालित 40 दुकानों का, तत्काल, ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाए। अन्यथा लीज की शर्तों का उल्लंघन किए जाने के परिणामस्वरूप, उक्त लीज नोटिफिकेशन संख्या–1285 दिनांक 05.12.1927 के निरस्तीकरण हेतु, भारत सरकार को पत्र प्रेषित कर दिया जाएगा।

परिवादी द्वारा दाखिल प्रपत्र दिनांक 18.06.2025 से विदित होता है कि मां चण्डी देवी टेम्पल ट्रस्ट बनाम महंत रोहित गिरी के संबंध में सिविल अपील संख्या–35 / 2017 एवं 37 / 2017, मां चण्डी देवी टेंम्पल ट्रस्ट बनाम महंत रोहित गिरी मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में विचाराधीन है तथा वन विभाग द्वारा प्रश्नगत मां चण्डी देवी मंदिर परिसर की लीज समाप्त नहीं की गई है और न ही परिवादी के परिसर / दुकान को ध्वस्त किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी को मूलभूत सुविधा हेतु निर्गत विद्युत संयोजन पर विद्युत आपूर्ति जारी रखा जाना उचित होगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी विधि सम्मत आदेश प्राप्त न हों।

क्रमशः.....03

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि परिवादिनी को मूलभूत सुविधा हेतु निर्गत विद्युत संयोजन पर विद्युत आपूर्ति जारी रखें जब तक कि सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी विधि सम्मत आदेश प्राप्त न हों। विद्युत विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार) न्यायिक सदस्य	12/12/2025 (जी0 एस0 धर्मसत्तू) तकनीकी सदस्य	12/12/2025 (सतीश उनियाल) उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 265/2025 दिनांक : 12.12.2025

परिवादी :– श्री सतेन्द्र सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, दुकान स्थित, मां चण्डी देवी मन्दिर परिसर, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री सतेन्द्र सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, दुकान स्थित, मां चण्डी देवी मन्दिर परिसर, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–6969999135739 के सन्दर्भ में कथन किया है कि वह मां चण्डी देवी मन्दिर परिसर, ग्राम चण्डी, तहसील व जिला हरिद्वार में निम्नवर्णित सम्पत्ति पर वर्षो से किरायेदार चले आते हैं। प्रश्नगत दुकान में उनके नाम से उक्त एक विद्युत कनैक्शन चला आता था। पिछले कुछ समय से मां चण्डी देवी मन्दिर के मैनेजमेंट के सम्बन्ध में मन्दिर के मंहतों/ट्रस्टियों में आपसी विवाद चल रहा है, जिसके सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में दो सिविल अपील सं0 35/2017 व 37/2017, मां चण्डी देवी टैम्पल ट्रस्ट बनाम मंहत रोहित गिरी, विचाराधीन है जिसमे दिनांक 17.03.2017 को माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा मन्दिर सम्पत्ति पर यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित किए गए हैं।

कुछ दिन पूर्व विपक्षी विभाग ने बिना कोई नोटिस दिये गलत व अवैध रूप से उनका विद्युत कनैक्शन अवरूद्ध कर दिया है। विधि व्यवस्था है कि पानी, बिजली की सुविधा जीवन की मूलभूत सुविधा है, जिसके अभाव मे कार्य करना व रहना आज के युग में असम्भव है तथा किरायेदार या अध्यासी सम्पत्ति पर अपने नाम से विद्युत कनैक्शन लेने का अधिकारी है और ऐसा विद्युत कनेक्शन मालिक के एतराज पर भी अवरूद्ध नही किया जा सकता है।

प्रश्नगत विद्युत कनैक्शन अवरूद्ध हो जाने की स्थिति में उनको भारी कठिनाई उठानी पड़ रही है तंथा अपूर्णीय क्षति हो रही है। विपक्षी विभाग के अधिकारियों से उन्होंने इस सम्बन्ध में कनैक्शन पुनः जोड़ने का अनुरोध किया परन्तु विपक्षी विभाग व उसके अधीनस्थ कर्मचारी, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अतः मंच से अनुरोध है कि विपक्षी विभाग को आदेश दिया जाये कि उक्त वर्णित सम्पत्ति पर चला आ रहा विद्युत कनैक्शन जोड़कर संचालित करा दिया जाए।

क्रमशः.....02

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या 3068 दिनांकित 18.11.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि प्रभागीय वनाधिकारी (हरिद्वार वन विभाग) के पत्रांक–798/29–1 दिनांक 11.08.2025 द्वारा अवगत कराया गया था कि चण्डी देवी मन्दिर परिसर में वन भूमि पर अवैध रूप से 40 दुकाने संचालित की जा रही थी। एवं इन संयोजनों की विद्युत आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से रोकने हेतु अनुरोध किया गया था। जिसके उपरान्त श्री सतेन्द्र सिंह के संयोजन संख्या–6969999135739 (बकाया धनराशि रू0. 99753) को विच्छेदित किया गया। उक्त शिकायतकर्ता द्वारा यदि वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाता है, एवं बकाया धनराशि जमा करा दी जाती है, तो संयोजन पुनः संयोजित कर दिया जाएगा।

मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्रीमती पूनम कश्यप तथा विपक्षी की ओर से अवर अभियन्ता श्री निमेष वर्मा उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 1.00 किलोवाट विद्युत भार पर, दिनांक 06.07.2018 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 31.03.2025 तक, एमयू आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से विदित होता है कि मां चण्डी देवी मंदिर परिसर हेतु, लीज नोटिफिकेशन संख्या–1285 दिनांक 05.12.1927 द्वारा, वन भूमि, लीज पर दी गई है। परिवादी के कथनानुसार, मां चण्डी देवी मंदिर परिसर में स्थित प्रश्नगत सम्पत्ति पर किरायेदार के रूप में काबिज है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त प्रश्नगत परिसर पर, विद्युत संयोजन संख्या–6969999135739, विद्युत मीटर संख्या–यू267221 के माध्यम से निर्गत किया गया है।

पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों से विदित होता है कि मां चण्डी देवी मंदिर परिसर के प्रबंधन के संबंध में, मंदिर के महंतों/ट्रस्टियों के मध्य उत्पन्न विवाद, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में सिविल अपील संख्या–35/2017 एवं 37/2017, मां चण्डी देवी टैम्पल ट्रस्ट बनाम महंत रोहित गिरी, विचाराधीन है तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा, दिनांक 17.03.2017 को, यथास्थिति बनाए रखे जाने के आदेश पारित किए गए हैं। प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग हरिद्वार द्वारा, पत्रांक 798/29–1, दिनांक 11.08.2025 के माध्यम से, विपक्षी विभाग को सूचित किया गया है कि मां चण्डी देवी परिसर में, वन भूमि पर अवैध रूप से संचालित की जा रही दुकानों की विद्युत आपूर्ति तत्काल प्रभाव से रोकने की कार्यवाही की जाए।

उक्त पत्र का संज्ञान लेते हुए परिवादी के परिसर/दुकान की विद्युत आपूर्ति, विपक्षी विभाग द्वारा विच्छेदित की गई है। प्रभारी वनाधिकारी द्वारा, उक्त पत्र के माध्यम से, श्री भवानी नंदन, निवासी–चण्डी देवी मंदिर, श्यामपुर हरिद्वार को सूचित किया गया है कि प्रश्नगत मां चण्डी देवी मंदिर परिसर पर संचालित 40 दुकानों का तत्काल ध्वस्तीकरण किया जाए। अन्यथा लीज की शर्तों का उल्लंघन किए जाने के परिणामस्वरूप, उक्त लीज नोटिफिकेशन संख्या–1285 दिनांक 05.12.1927 के निरस्तीकरण हेतु, भारत सरकार को पत्र प्रेषित कर दिया जाएगा।

परिवादी द्वारा दाखिल प्रपत्र दिनांक 18.06.2025 से विदित होता है कि मां चण्डी देवी टेम्पल ट्रस्ट बनाम महंत रोहित गिरी के संबंध में सिविल अपील संख्या–35/2017 एवं 37/2017, मां चण्डी देवी टैम्पल ट्रस्ट बनाम महंत रोहित गिरी, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में विचाराधीन है तथा वन विभाग द्वारा प्रश्नगत मां चण्डी देवी मंदिर परिसर की लीज समाप्त नहीं की गई है और न ही परिवादी के परिसर/दुकान को ध्वस्त किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को मूलभूत सुविधा हेतु निर्गत विद्युत संयोजन पर विद्युत आपूर्ति जारी रखा जाना उचित होगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी विधि सम्मत आदेश प्राप्त न हों।

क्रमशः.....03

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विद्युत विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को मूलभूत सुविधा हेतु निर्गत विद्युत संयोजन पर विद्युत आपूर्ति जारी रखें जब तक कि सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी विधि सम्मत आदेश प्राप्त न हों। विद्युत विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार)	12/12/2025 (जी0 एस0 धर्मसत्तू)	12/12/2025 (सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 266/2025 दिनांक : 12.12.2025

परिवादी :– श्री अशोक कुमार पुत्र स्व0 श्री मुलखराज, दुकान सं0–13, मां चण्डी देवी परिसर, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री अशोक कुमार पुत्र स्व0 श्री मुलखराज, दुकान सं0–13, मां चण्डी देवी परिसर, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–6961323049280 के सन्दर्भ में कथन किया है कि वह मां चण्डी देवी मन्दिर परिसर, ग्राम चण्डी, तहसील व जिला हरिद्वार में निम्नवर्णित सम्पत्ति पर वर्षो से किरायेदार चले आते हैं। प्रश्नगत दुकान में उनके नाम से उक्त एक विद्युत कनैक्शन चला आता था। पिछले कुछ समय से मां चण्डी देवी मन्दिर के मैनेजमेंट के सम्बन्ध में मन्दिर के मंहतों/ट्रस्टियों में आपसी विवाद चल रहा है, जिसके सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में दो सिविल अपील सं0 35/2017 व 37/2017, मां चण्डी देवी टैम्पल ट्रस्ट बनाम मंहत रोहित गिरी, विचाराधीन है जिसमे दिनांक 17.03.2017 को माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा मन्दिर सम्पत्ति पर यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित किए गए हैं।

कुछ दिन पूर्व विपक्षी विभाग ने बिना कोई नोटिस दिये गलत व अवैध रूप से उनका विद्युत कनैक्शन अवरूद्ध कर दिया है। विधि व्यवस्था है कि पानी, बिजली की सुविधा जीवन की मूलभूत सुविधा है, जिसके अभाव मे कार्य करना व रहना आज के युग में असम्भव है तथा किरायेदार या अध्यासी सम्पत्ति पर अपने नाम से विद्युत कनैक्शन लेने का अधिकारी है और ऐसा विद्युत कनेक्शन मालिक के एतराज पर भी अवरूद्ध नही किया जा सकता है।

प्रश्नगत विद्युत कनैक्शन अवरूद्ध हो जाने की स्थिति में उनको भारी कठिनाई उठानी पड़ रही है तथा अपूर्णीय क्षति हो रही है। विपक्षी विभाग के अधिकारियों से उन्होंने इस सम्बन्ध में कनैक्शन पुनः जोड़ने का अनुरोध किया परन्तु विपक्षी विभाग व उसके अधीनस्थ कर्मचारी, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अतः मंच से अनुरोध है कि विपक्षी विभाग को आदेश दिया जाये कि उक्त वर्णित सम्पत्ति पर चला आ रहा विद्युत कनैक्शन जोड़कर संचालित करा दिया जाए।

क्रमशः.....02

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या 3069 दिनांकित 18.11.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि प्रभागीय वनाधिकारी (हरिद्वार वन विभाग) के पत्रांक–798/29–1 दिनांक 11.08.2025 द्वारा अवगत कराया गया था कि चण्डी देवी मन्दिर परिसर में वन भूमि पर अवैध रूप से 40 दुकाने संचालित की जा रही थी। एवं इन संयोजनों की विद्युत आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से रोकने हेतु अनुरोध किया गया था। जिसके उपरान्त श्री अशोक कुमार के संयोजन संख्या–6961323049280 (बकाया धनराशि रू0. 63406) को विच्छेदित किया गया। उक्त शिकायतकर्ता द्वारा यदि वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाता है, एवं बकाया धनराशि जमा करा दी जाती है, तो संयोजन पुनः संयोजित कर दिया जाएगा।

मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्रीमती पूनम कश्यप तथा विपक्षी की ओर से अवर अभियन्ता श्री निमेष वर्मा उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 5.00 किलोवाट विद्युत भार पर, दिनांक 18.03.1998 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 15.07.2025 तक, एमयू आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से विदित होता है कि मां चण्डी देवी मंदिर परिसर हेतु, लीज नोटिफिकेशन संख्या–1285 दिनांक 05.12.1927 द्वारा, वन भूमि, लीज पर दी गई है। परिवादी के कथनानुसार, मां चण्डी देवी मंदिर परिसर में स्थित प्रश्नगत सम्पत्ति पर किरायेदार के रूप में काबिज है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त प्रश्नगत परिसर पर, विद्युत संयोजन संख्या–6961323049280, विद्युत मीटर संख्या–9156826 के माध्यम से निर्गत किया गया है।

पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों से विदित होता है कि मां चण्डी देवी मंदिर परिसर के प्रबंधन के संबंध में, मंदिर के महंतों/ट्रस्टियों के मध्य उत्पन्न विवाद, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में सिविल अपील संख्या–35/2017 एवं 37/2017, मां चण्डी देवी टैम्पल ट्रस्ट बनाम महंत रोहित गिरी, विचाराधीन है तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा, दिनांक 17.03.2017 को, यथास्थिति बनाए रखे जाने के आदेश पारित किए गए हैं। प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग हरिद्वार द्वारा, पत्रांक 798/29–1, दिनांक 11.08.2025 के माध्यम से, विपक्षी विभाग को सूचित किया गया है कि मां चण्डी देवी परिसर में, वन भूमि पर अवैध रूप से संचालित की जा रही दुकानों की विद्युत आपूर्ति तत्काल प्रभाव से रोकने की कार्यवाही की जाए।

उक्त पत्र का संज्ञान लेते हुए परिवादी के परिसर/दुकान की विद्युत आपूर्ति, विपक्षी विभाग द्वारा विच्छेदित की गई है। प्रभारी वनाधिकारी द्वारा, उक्त पत्र के माध्यम से, श्री भवानी नंदन, निवासी–चण्डी देवी मंदिर, श्यामपुर हरिद्वार को सूचित किया गया है कि प्रश्नगत मां चण्डी देवी मंदिर परिसर पर संचालित 40 दुकानों का तत्काल ध्वस्तीकरण किया जाए। अन्यथा लीज की शर्तों का उल्लंघन किए जाने के परिणामस्वरूप, उक्त लीज नोटिफिकेशन संख्या–1285 दिनांक 05.12.1927 के निरस्तीकरण हेतु, भारत सरकार को पत्र प्रेषित कर दिया जाएगा।

परिवादी द्वारा दाखिल प्रपत्र दिनांक 18.06.2025 से विदित होता है कि मां चण्डी देवी टेम्पल ट्रस्ट बनाम महंत रोहित गिरी के संबंध में सिविल अपील संख्या–35/2017 एवं 37/2017, मां चण्डी देवी टैम्पल ट्रस्ट बनाम महंत रोहित गिरी, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में विचाराधीन है तथा वन विभाग द्वारा प्रश्नगत मां चण्डी देवी मंदिर परिसर की लीज समाप्त नहीं की गई है और न ही परिवादी के परिसर/दुकान को ध्वस्त किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को मूलभूत सुविधा हेतु निर्गत विद्युत संयोजन पर विद्युत आपूर्ति जारी रखा जाना उचित होगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी विधि सम्मत आदेश प्राप्त न हों।

क्रमशः.....03

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विद्युत विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को मूलभूत सुविधा हेतु निर्गत विद्युत संयोजन पर विद्युत आपूर्ति जारी रखें जब तक कि सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी विधि सम्मत आदेश प्राप्त न हों। विद्युत विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार) न्यायिक सदस्य	12/12/2025 (जी0 एस0 धर्मसत्तू) तकनीकी सदस्य	12/12/2025 (सतीश उनियाल) उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 267 / 2025 दिनांक : 12.12.2025

परिवादी :– श्री विनोद ठाकुर (विनोद कुमार) पुत्र स्व0 श्री मोहन सिंह, दुकान सं0–07, मां चण्डी देवी मन्दिर परिसर, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री विनोद ठाकुर (विनोद कुमार) पुत्र स्व0 श्री मोहन सिंह, दुकान सं0–07, मां चण्डी देवी मन्दिर परिसर, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–6961323057477 के सन्दर्भ में कथन किया है कि वह मां चण्डी देवी मन्दिर परिसर, ग्राम चण्डी, तहसील व जिला हरिद्वार में निम्नवर्णित सम्पत्ति पर वर्षो से किरायेदार चले आते हैं। प्रश्नगत दुकान में उनके नाम से उक्त एक विद्युत कनैक्शन चला आता था। पिछले कुछ समय से मां चण्डी देवी मन्दिर के मैनेजमेंट के सम्बन्ध में मन्दिर के मंहतों / ट्रस्टियों में आपसी विवाद चल रहा है, जिसके सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में दो सिविल अपील सं0 35 / 2017 व 37 / 2017, मां चण्डी देवी टैम्पल ट्रस्ट बनाम मंहत रोहित गिरी, विचाराधीन है जिसमे दिनांक 17.03.2017 को माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा मन्दिर सम्पत्ति पर यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित किए गए हैं।

कुछ दिन पूर्व विपक्षी विभाग ने बिना कोई नोटिस दिये गलत व अवैध रूप से उनका विद्युत कनैक्शन अवरूद्ध कर दिया है। विधि व्यवस्था है कि पानी, बिजली की सुविधा जीवन की मूलभूत सुविधा है, जिसके अभाव मे कार्य करना व रहना आज के युग में असम्भव है तथा किरायेदार या अध्यासी सम्पत्ति पर अपने नाम से विद्युत कनैक्शन लेने का अधिकारी है और ऐसा विद्युत कनेक्शन मालिक के एतराज पर भी अवरूद्ध नही किया जा सकता है।

प्रश्नगत विद्युत कनैक्शन अवरूद्ध हो जाने की स्थिति में उनको भारी कठिनाई उठानी पड़ रही है तथा अपूर्णीय क्षति हो रही है। विपक्षी विभाग के अधिकारियों से उन्होंने इस सम्बन्ध में कनैक्शन पुनः जोड़ने का अनुरोध किया परन्तु विपक्षी विभाग व उसके अधीनस्थ कर्मचारी, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अतः मंच से अनुरोध है कि विपक्षी विभाग को आदेश दिया जाये कि उक्त वर्णित सम्पत्ति पर चला आ रहा विद्युत कनैक्शन जोड़कर संचालित करा दिया जाए।

क्रमशः.....02

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या 3070 दिनांकित 18.11.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि प्रभागीय वनाधिकारी (हरिद्वार वन विभाग) के पत्रांक–798/29–1 दिनांक 11.08.2025 द्वारा अवगत कराया गया था कि चण्डी देवी मन्दिर परिसर में वन भूमि पर अवैध रूप से 40 दुकाने संचालित की जा रही थी। एवं इन संयोजनों की विद्युत आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से रोकने हेतु अनुरोध किया गया था। जिसके उपरान्त श्री विनोद ठाकुर के संयोजन संख्या–6961323057477 (बकाया धनराशि रू0. 49753) को विच्छेदित किया गया। उक्त शिकायतकर्ता द्वारा यदि वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाता है, एवं बकाया धनराशि जमा करा दी जाती है, तो संयोजन पुनः संयोजित कर दिया जाएगा।

मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्रीमती पूनम कश्यप तथा विपक्षी की ओर से अवर अभियन्ता श्री निमेष वर्मा उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 5.00 किलोवाट विद्युत भार पर, दिनांक 30.03.1999 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 15.07.2025 तक, एमयू आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से विदित होता है कि मां चण्डी देवी मंदिर परिसर हेतु, लीज नोटिफिकेशन संख्या–1285 दिनांक 05.12.1927 द्वारा, वन भूमि, लीज पर दी गई है। परिवादी के कथनानुसार, मां चण्डी देवी मंदिर परिसर में स्थित प्रश्नगत सम्पत्ति पर किरायेदार के रूप में काबिज है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त प्रश्नगत परिसर पर, विद्युत संयोजन संख्या–6961323057477, विद्युत मीटर संख्या–8845312 के माध्यम से निर्गत किया गया है।

पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों से विदित होता है कि मां चण्डी देवी मंदिर परिसर के प्रबंधन के संबंध में, मंदिर के महंतों/ट्रस्टियों के मध्य उत्पन्न विवाद, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में सिविल अपील संख्या–35/2017 एवं 37/2017, मां चण्डी देवी टैम्पल ट्रस्ट बनाम महंत रोहित गिरी, विचाराधीन है तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा, दिनांक 17.03.2017 को, यथास्थिति बनाए रखे जाने के आदेश पारित किए गए हैं। प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग हरिद्वार द्वारा, पत्रांक 798/29–1, दिनांक 11.08.2025 के माध्यम से, विपक्षी विभाग को सूचित किया गया है कि मां चण्डी देवी परिसर में, वन भूमि पर अवैध रूप से संचालित की जा रही दुकानों की विद्युत आपूर्ति तत्काल प्रभाव से रोकने की कार्यवाही की जाए।

उक्त पत्र का संज्ञान लेते हुए परिवादी के परिसर/दुकान की विद्युत आपूर्ति, विपक्षी विभाग द्वारा विच्छेदित की गई है। प्रभारी वनाधिकारी द्वारा, उक्त पत्र के माध्यम से, श्री भवानी नंदन, निवासी–चण्डी देवी मंदिर, श्यामपुर हरिद्वार को सूचित किया गया है कि प्रश्नगत मां चण्डी देवी मंदिर परिसर पर संचालित 40 दुकानों का तत्काल ध्वस्तीकरण किया जाए। अन्यथा लीज की शर्तों का उल्लंघन किए जाने के परिणामस्वरूप, उक्त लीज नोटिफिकेशन संख्या–1285 दिनांक 05.12.1927 के निरस्तीकरण हेतु, भारत सरकार को पत्र प्रेषित कर दिया जाएगा।

परिवादी द्वारा दाखिल प्रपत्र दिनांक 18.06.2025 से विदित होता है कि मां चण्डी देवी टेम्पल ट्रस्ट बनाम महंत रोहित गिरी के संबंध में सिविल अपील संख्या–35/2017 एवं 37/2017, मां चण्डी देवी टैम्पल ट्रस्ट बनाम महंत रोहित गिरी, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में विचाराधीन है तथा वन विभाग द्वारा प्रश्नगत मां चण्डी देवी मंदिर परिसर की लीज समाप्त नहीं की गई है और न ही परिवादी के परिसर/दुकान को ध्वस्त किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को मूलभूत सुविधा हेतु निर्गत विद्युत संयोजन पर विद्युत आपूर्ति जारी रखा जाना उचित होगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी विधि सम्मत आदेश प्राप्त न हों।

क्रमशः.....03

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विद्युत विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को मूलभूत सुविधा हेतु निर्गत विद्युत संयोजन पर विद्युत आपूर्ति जारी रखें जब तक कि सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी विधि सम्मत आदेश प्राप्त न हों। विद्युत विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 268/2025 दिनांक : 12.12.2025

परिवादी :– श्री राजकुमार पुत्र श्री शिवदयाल, दुकान सं0–11, मां चण्डी देवी मन्दिर परिसर, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री राजकुमार पुत्र श्री शिवदयाल, मां चण्डी देवी मन्दिर परिसर, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–6961323057478, के सन्दर्भ में कथन किया है कि वह मां चण्डी देवी मन्दिर परिसर, ग्राम चण्डी, तहसील व जिला हरिद्वार में निम्नवर्णित सम्पत्ति पर वर्षो से रू0. 1500.00 माहवार की दर से, दुकान पर किरायेदार चला आता है। प्रश्नगत दुकान में उनके नाम से उक्त एक विद्युत कनैक्शन चला आता था। पिछले कुछ समय से मां चण्डी देवी मन्दिर के मैनेजमेंट के सम्बन्ध में मन्दिर के मंहतों/ट्रस्टियों में आपसी विवाद चल रहा है, जिसके सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में दो सिविल अपील सं0 35/2017 व 37/2017, मां चण्डी देवी टैम्पल ट्रस्ट बनाम मंहत रोहित गिरी, विचाराधीन है जिसमे दिनांक 17.03.2017 को माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा मन्दिर सम्पत्ति पर यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित किए गए हैं। कुछ दिन पूर्व विपक्षी विभाग ने बिना कोई नोटिस दिये गलत व अवैध रूप से उनका विद्युत कनैक्शन अवरूद्ध कर दिया है। विधि व्यवस्था है कि पानी, बिजली की सुविधा जीवन की मूलभूत सुविधा है, जिसके अभाव मे कार्य करना व रहना आज के युग में असम्भव है तथा किरायेदार या अध्यासी सम्पत्ति पर अपने नाम से विद्युत कनैक्शन लेने का अधिकारी है और ऐसा विद्युत कनेक्शन मालिक के एतराज पर भी अवरूद्ध नही किया जा सकता है। प्रश्नगत विद्युत कनैक्शन अवरूद्ध हो जाने की स्थिति मे उनको भारी कठिनाई उठानी पड़ रही है तथा अपूर्णीय क्षति हो रही है। विपक्षी विभाग के अधिकारियों से उन्होने इस सम्बन्ध में कनैक्शन पुनः जोड़ने का अनुरोध किया परन्तु विपक्षी विभाग व उसके अधीनस्थ कर्मचारी, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अतः मंच से अनुरोध है कि विपक्षी विभाग को आदेश दिया जाये कि उक्त वर्णित सम्पत्ति पर चला आ रहा विद्युत कनैक्शन जोड़कर संचालित करा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या 3071 दिनांकित 18.11.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि प्रभागीय वनाधिकारी (हरिद्वार वन विभाग) के पत्रांक–798/29–1 दिनांक 11.08.2025 द्वारा अवगत कराया गया था कि चण्डी देवी मन्दिर परिसर में वन भूमि पर अवैध

क्रमशः.....02

रूप से 40 दुकाने संचालित की जा रही थी। एवं इन संयोजनों की विद्युत आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से रोकने हेतु अनुरोध किया गया था। जिसके उपरान्त श्री राजकुमार के संयोजन संख्या—6961323057478 को विच्छेदित किया गया। उक्त शिकायतकर्ता द्वारा यदि वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाता है, तो संयोजन पुनः संयोजित कर दिया जाएगा।

मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्रीमती पूनम कश्यप तथा विपक्षी की ओर से अवर अभियन्ता श्री निमेष वर्मा उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 1.00 किलोवाट विद्युत भार पर, दिनांक 30.03.1999 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 15.07.2025 तक, एमयू आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से विदित होता है कि मां चण्डी देवी मंदिर परिसर हेतु, लीज नोटिफिकेशन संख्या—1285 दिनांक 05.12.1927 द्वारा, वन भूमि, लीज पर दी गई है। परिवादी के कथनानुसार, मां चण्डी देवी मंदिर परिसर में स्थित प्रश्नगत सम्पत्ति पर किरायेदार के रूप में काबिज है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त प्रश्नगत परिसर पर, विद्युत संयोजन संख्या—6961323057478, विद्युत मीटर संख्या—32148382 के माध्यम से निर्गत किया गया है।

पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों से विदित होता है कि मां चण्डी देवी मंदिर परिसर के प्रबंधन के संबंध में, मंदिर के महंतों / ट्रस्टियों के मध्य उत्पन्न विवाद, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में सिविल अपील संख्या—35 / 2017 एवं 37 / 2017, मां चण्डी देवी टैम्पल ट्रस्ट बनाम महंत रोहित गिरी, विचाराधीन है तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा, दिनांक 17.03.2017 को, यथास्थिति बनाए रखे जाने के आदेश पारित किए गए हैं। प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग हरिद्वार द्वारा, पत्रांक 798 / 29—1, दिनांक 11.08.2025 के माध्यम से, विपक्षी विभाग को सूचित किया गया है कि मां चण्डी देवी परिसर में, वन भूमि पर अवैध रूप से संचालित की जा रही दुकानों की विद्युत आपूर्ति तत्काल प्रभाव से रोकने की कार्यवाही की जाए।

उक्त पत्र का संज्ञान लेते हुए परिवादी के परिसर / दुकान की विद्युत आपूर्ति, विपक्षी विभाग द्वारा विच्छेदित की गई है। प्रभारी वनाधिकारी द्वारा, उक्त पत्र के माध्यम से, श्री भवानी नंदन, निवासी—चण्डी देवी मंदिर, श्यामपुर हरिद्वार को सूचित किया गया है कि प्रश्नगत मां चण्डी देवी मंदिर परिसर पर संचालित 40 दुकानों का तत्काल ध्वस्तीकरण किया जाए। अन्यथा लीज की शर्तों का उल्लंघन किए जाने के परिणामस्वरूप, उक्त लीज नोटिफिकेशन संख्या—1285 दिनांक 05.12.1927 के निरस्तीकरण हेतु, भारत सरकार को पत्र प्रेषित कर दिया जाएगा।

परिवादी द्वारा दाखिल प्रपत्र दिनांक 18.06.2025 से विदित होता है कि मां चण्डी देवी टेम्पल ट्रस्ट बनाम महंत रोहित गिरी के संबंध में सिविल अपील संख्या—35 / 2017 एवं 37 / 2017, मां चण्डी देवी टैम्पल ट्रस्ट बनाम महंत रोहित गिरी, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में विचाराधीन है तथा वन विभाग द्वारा प्रश्नगत मां चण्डी देवी मंदिर परिसर की लीज समाप्त नहीं की गई है और न ही परिवादी के परिसर / दुकान को ध्वस्त किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को मूलभूत सुविधा हेतु निर्गत विद्युत संयोजन पर विद्युत आपूर्ति जारी रखा जाना उचित होगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी विधि सम्मत आदेश प्राप्त न हों।

क्रमशः......03

वाद सं0—268 / 2025
(उ0शि0नि0मं0, हरिद्वार)

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को मूलभूत सुविधा हेतु निर्गत विद्युत संयोजन पर विद्युत आपूर्ति जारी रखें जब तक कि सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी विधि सम्मत आदेश प्राप्त न हों। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

12/12/2025 12/12/2025

(संजय कुमार) (जी0 एस0 धर्मसत्तू) (सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य तकनीकी सदस्य उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 269/2025 दिनांक : 12.12.2025

परिवादी :– श्री शुभम लिंगवाल, उत्तराधिकारी श्रीमती निशा (मृतक उपभोक्ता), दुकान स्थित, मां चण्डी देवी परिसर, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री शुभम लिंगवाल, उत्तराधिकारी श्रीमती निशा (मृतक उपभोक्ता), दुकान स्थित, मां चण्डी देवी परिसर, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–6911323502666, के सन्दर्भ में कथन किया है कि वह मां चण्डी देवी मन्दिर परिसर, ग्राम चण्डी, तहसील व जिला हरिद्वार में निम्नवर्णित सम्पत्ति पर वर्षो से किरायेदार चले आते हैं। प्रश्नगत दुकान में उनकी माता श्रीमती निशा के नाम से उक्त एक विद्युत कनैक्शन चला आता था। पिछले कुछ समय से मां चण्डी देवी मन्दिर के मैनेजमेंट के सम्बन्ध में मन्दिर के मंहतों/ट्रस्टियों में आपसी विवाद चल रहा है, जिसके सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में दो सिविल अपील सं0 35/2017 व 37/2017, मां चण्डी देवी टैम्पल ट्रस्ट बनाम मंहत रोहित गिरी, विचाराधीन है जिसमे दिनांक 17.03.2017 को माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा मन्दिर सम्पत्ति पर यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित किए गए हैं।

कुछ दिन पूर्व विपक्षी विभाग ने बिना कोई नोटिस दिये गलत व अवैध रूप से उनका विद्युत कनैक्शन अवरूद्ध कर दिया है। विधि व्यवस्था है कि पानी, बिजली की सुविधा जीवन की मूलभूत सुविधा है, जिसके अभाव मे कार्य करना व रहना आज के युग में असम्भव है तथा किरायेदार या अध्यासी सम्पत्ति पर अपने नाम से विद्युत कनैक्शन लेने का अधिकारी है और ऐसा विद्युत कनेक्शन मालिक के एतराज पर भी अवरूद्ध नही किया जा सकता है।

प्रश्नगत विद्युत कनैक्शन अवरूद्ध हो जाने की स्थिति में उनको भारी कठिनाई उठानी पड़ रही है तथा अपूर्णीय क्षति हो रही है। विपक्षी विभाग के अधिकारियों से उन्होंने इस सम्बन्ध में कनैक्शन पुनः जोड़ने का अनुरोध किया परन्तु विपक्षी विभाग व उसके अधीनस्थ कर्मचारी, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अतः मंच से अनुरोध है कि विपक्षी विभाग को आदेश दिया जाये कि उक्त वर्णित सम्पत्ति पर चला आ रहा विद्युत कनैक्शन जोड़कर संचालित करा दिया जाए।

क्रमशः.....02

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या 3072 दिनांकित 18.11.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि प्रभागीय वनाधिकारी (हरिद्वार वन विभाग) के पत्रांक–798/29–1 दिनांक 11.08.2025 द्वारा अवगत कराया गया था कि चण्डी देवी मन्दिर परिसर में वन भूमि पर अवैध रूप से 40 दुकाने संचालित की जा रही थी। एवं इन संयोजनों की विद्युत आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से रोकने हेतु अनुरोध किया गया था। जिसके उपरान्त श्रीमती निशा के संयोजन संख्या–6911323502666 को विच्छेदित किया गया। उक्त शिकायतकर्ता द्वारा यदि वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाता है, तो संयोजन पुनः संयोजित कर दिया जाएगा।

मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्रीमती पूनम कश्यप तथा विपक्षी की ओर से अवर अभियन्ता श्री निमेष वर्मा उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 1.00 किलोवाट विद्युत भार पर, दिनांक 05.05.2022 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 15.07.2025 तक, एमयू आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से विदित होता है कि मां चण्डी देवी मंदिर परिसर हेतु, लीज नोटिफिकेशन संख्या–1285 दिनांक 05.12.1927 द्वारा वन भूमि लीज पर दी गई है। परिवादी के कथनानुसार, मां चण्डी देवी मंदिर परिसर में स्थित प्रश्नगत सम्पत्ति पर किरायेदार के रूप में काबिज है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त प्रश्नगत परिसर पर, विद्युत संयोजन संख्या–6911323502666, विद्युत मीटर संख्या–यू868170 के माध्यम से निर्गत किया गया है।

पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों से विदित होता है कि मां चण्डी देवी मंदिर परिसर के प्रबंधन के संबंध में, मंदिर के महंतों/ट्रस्टियों के मध्य उत्पन्न विवाद, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में सिविल अपील संख्या–35/2017 एवं 37/2017, मां चण्डी देवी टेंम्पल ट्रस्ट बनाम महंत रोहित गिरी विचाराधीन है तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा, दिनांक 17.03.2017 को यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किए गए हैं। प्रभारी वनाधिकारी, वन प्रभाग हरिद्वार द्वारा, पत्रांक 798/29–1, दिनांक 11.08.2025 के माध्यम से, विपक्षी विभाग को सूचित किया गया है कि मां चण्डी देवी परिसर में, वन भूमि पर अवैध रूप से संचालित की जा रही दुकानों की विद्युत आपूर्ति तत्काल प्रभाव से रोकने की कार्यवाही की जाए।

उक्त पत्र का संज्ञान लेते हुए परिवादी के परिसर/दुकान की विद्युत आपूर्ति, विपक्षी विभाग द्वारा विच्छेदित की गई है। प्रभारी वनाधिकारी द्वारा, उक्त पत्र के माध्यम से, श्री भवानी नंदन निवासी चण्डी देवी मंदिर, श्यामपुर हरिद्वार को सूचित किया गया है कि प्रश्नगत मां चण्डी देवी मंदिर परिसर पर संचालित 40 दुकानों का, तत्काल, ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाए। अन्यथा लीज की शर्तों का उल्लंघन किए जाने के परिणामस्वरूप, उक्त लीज नोटिफिकेशन संख्या–1285 दिनांक 05.12.1927 के निरस्तीकरण हेतु, भारत सरकार को पत्र प्रेषित कर दिया जाएगा।

परिवादी द्वारा दाखिल प्रपत्र दिनांक 18.06.2025 से विदित होता है कि मां चण्डी देवी टेम्पल ट्रस्ट बनाम महंत रोहित गिरी के संबंध में सिविल अपील संख्या–35/2017 एवं 37/2017, मां चण्डी देवी टेंम्पल ट्रस्ट बनाम महंत रोहित गिरी मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में विचाराधीन है तथा वन विभाग द्वारा प्रश्नगत मां चण्डी देवी मंदिर परिसर की लीज समाप्त नहीं की गई है और न ही परिवादी के परिसर /दुकान को ध्वस्त किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को मूलभूत सुविधा हेतु निर्गत विद्युत संयोजन पर विद्युत आपूर्ति जारी रखा जाना उचित होगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी विधि सम्मत आदेश प्राप्त न हों।

क्रमशः.....03

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विद्युत विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को मूलभूत सुविधा हेतु निर्गत विद्युत संयोजन पर विद्युत आपूर्ति जारी रखें जब तक कि सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी विधि सम्मत आदेश प्राप्त न हों। विद्युत विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

12/12/2025

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 281/2025 दिनांक : 05.12.2025

परिवादी :– श्री चांदपाल पुत्र स्व0 श्री मक्खन सिंह, ग्राम–कवादपुर लोधीवाला, झबरेड़ा, रूड़की, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री चांदपाल पुत्र स्व0 श्री मक्खन सिंह, ग्राम–कवादपुर लोधीवाला, झबरेड़ा, रूड़की, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–आरडी2जे122090460, स्वीकृत भार 02 किलोवाट के सन्दर्भ में कथन किया है कि वह ससमय विद्युत बिलों को जमा करते आ रहे हैं। अंतिम बिल दिनांक 08.08.2025 को रू0 988.00 का जमा किया गया है। परन्तु जब वह दिनांक 10.10.2025 को बिल जमा करने गये तब विद्युत विभाग के कर्मचारी ने उनको बताया कि उनका एक माह का बिल रू0 2648.00 है। परिवादी ने बताया कि ना ही उनको बिल दिया गया और ना ही मोबाइल पर कोई बिल का मैसेज उन्हें प्राप्त हुआ। उनके यहां एक पंखा और आंगन में एक बल्ब है। उनके पास कोई जानवर आदि भी नही हैं। कोई चारा काटने की मशीन भी उनके यहां पर नहीं है। उनका कोई कारखाना या फैक्ट्री भी नहीं लगी हुई हैं। उन्होंने अधिशासी अभियन्ता से बिल के सम्बन्ध में शिकायत की, जिससे अधिशासी अभियन्ता ने विभाग के कर्मचारी को उनका आवेदन देकर एकाण्टेंट के पास भेज दिया, परन्तु एकाण्टेंट उस समय कार्यालय में उपस्थित नहीं थे। अवर अभियन्ता से सम्पर्क करने पर भी कोई जवाब नहीं दिया गया। उन्हें दिनांक 10.10.2025 को रू0. 4401.00 का बिल प्राप्त हुआ। उनको मात्र 19 दिन का विद्युत बिल रू0. 1751.00 प्राप्त हुआ। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका विद्युत बिल ठीक करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या 7363 दिनांकित 12.11.2025 के माध्यम से, मंच द्वारा प्रेषित नोटिस में दर्ज विद्युत संयोजन संख्या आरडी2जे122090460 के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि उक्त विद्युत संयोजन का आरएपीडीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन संख्या–आरडी2जे122090460, श्री चांदपाल पुत्र स्व0 श्री मक्खन सिंह, ग्राम–लोदीवाला कवादपुर, झबरेड़ा, रूड़की, जिला–हरिद्वार के नाम पर, घरेलू कार्य हेतु, 02 कि0वा0 भार का संयोजन, दिनांक 18.11.2007 को निर्गत किया गया था। उपरोक्त विद्युत संयोजन के समस्त बीजक परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक संख्या 50546203 में दर्ज, परिवादी द्वारा उपभोग की गयी विद्युत खपत

क्रमशः.....02

के आधार पर निर्गत किये गये हैं। परिवादी द्वारा विद्युत संयोजन संख्या आरडी2जे122090460 के सापेक्ष अन्तिम बीजक भुगतान दिनांक 13.08.2025 को किया गया था। वर्तमान में विद्युत बकाया बीजक रू0. 4970.00 है, जो कि उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

मंच के समक्ष परिवादी अनुपस्थित तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री मोहम्मद रिजवान उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 02.00 किलोवाट विद्युत भार पर, दिनांक 18.11.2007 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 11.11.2025 तक, एमयू आधार पर, विद्युत बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 22.09.2025 तथा दिनांक 11.10.2025 को जारी बिलों में दर्शायी गई धनराशि, क्रमशः रू0 2668.00 तथा रू0 4401.00 की धनराशि को, पूर्व में जारी बिलों की तुलना में, अधिक होने के कथन के साथ विवादित ठहराया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, गत महिनों में, निम्नानुसार, विद्युत खपत के बिल, परिवादी को जारी किए गए हैं तथा एमआरआई रिपोर्ट के अनुसार, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या–50546203 पर, निम्नानुसार, विद्युत खपत रिकार्ड की गई है:–

विपक्षी द्वारा जारी बिल के अनुसार खपत का विवरण				एमआरआई रिपोर्ट के अनुसार खपत का विवरण			
से	तक	माह	खपत	से	तक	माह	खपत
10.12.24	08.01.25	0.93	83	01.12.24	01.01.25	01	72
08.01.25	08.02.25	01	95	01.01.25	01.02.25	01	108
08.02.25	05.03.25	0.90	66	01.02.25	01.03.25	01	71
05.03.25	10.04.25	01.16	85	01.03.25	01.04.25	01	76
10.04.25	08.05.25	0.93	86	01.04.25	01.05.25	01	83
08.05.25	09.06.25	01	147	01.05.25	01.06.25	01	142
09.06.25	10.07.25	01	192	01.06.25	01.07.25	01	159
10.07.25	08.08.25	0.93	187	01.07.25	01.08.25	01	193
08.08.25	22.09.25	1.13	433	01.08.25	01.09.25	01	363
22.09.25	11.10.25	0.63	252	01.09.25	01.10.25	01	320
11.10.25	11.11.25	01	110	01.10.25	01.11.25	01	146
योग			1736	योग			1733

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 10.12.2024 से दिनांक 11.11.2025 तक, लगभग 11 माह की अवधि में, कुल 1736 यूनिट की विद्युत खपत के बिल परिवादी को जारी किए गए हैं। एमआरआई रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 01.12.2024 से दिनांक 01.11.2025 तक, 11 माह की अवधि में, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या–50546203 पर, कुल 1733 यूनिट की विद्युत खपत रिकार्ड की गई है जो कि उक्त 1736 यूनिट की तुलना में सही प्रतीत होती है। इस प्रकार, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के संयोजन पर गतिमान उक्त विद्युत मीटर पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर, विद्युत बिल जारी किए गए हैं जो कि सही प्रतीत होते हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत विद्युत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या–50546203 पर दर्ज, विद्युत खपत के आधार पर, विद्युत बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर जारी बिलों में किसी भी प्रकार का कोई

क्रमशः.....03

संशोधन किया जाना संभव नहीं है। अतः परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य
	5/12/2025	05/12/2025

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 283/2025 दिनांक : 30.12.2025

परिवादी :– श्री शुभम पुत्र श्री इन्द्रजीत, निवासी–पीठ बाजार, ज्वालापुर, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री शुभम पुत्र श्री इन्द्रजीत, निवासी–पीठ बाजार, ज्वालापुर, जिला–हरिद्वार द्वारा कथन किया है कि उनकी एक सम्पत्ति क्षेत्रफल 510 वर्गफुट यानि 47.40 वर्गमीटर है, जो स्थित मौहल्ला शास्त्री नगर, ज्वालापुर, अहमदपुर कड़च्छ, परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार अन्दर सीमा, नगर निगम हरिद्वार में है, जो उनके नाम चली आती है, जिसकी रजि0 दिनांक 26.09.2025 में हुई है, उक्त सम्पत्ति उन्होंने श्री सागर मनचन्दा पुत्र श्री जगदीश मनचन्दा से क्रय की है, जिसका वह अब स्वामी है, तथा वह उनकी उक्त सम्पत्ति पर, अपने नाम से विद्युत कनैक्शन लेना चाहता है, जिसके लिए उनके द्वारा, दिनांक 15.10.2025 को विभाग कार्यालय में, रि0 नं0–211510254687, आवेदन किया था, जिस पर, विद्युत विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। उन्होंने दिनांक 30.10.2025 को पुनः ऑनलाईन आवेदन किया, जिसका रि0 सं0–113010250454 है, जिसमें आज तक कोई अपडेट नहीं हुआ, ना ही उनकी सम्पत्ति पर, कोई कनैक्शन विद्युत विभाग द्वारा जारी किया गया। उनको उनकी उपरोक्त सम्पत्ति पर, विद्युत कनैक्शन की आवश्यकता है। जिस पर विभाग द्वारा बकाया बताया जा रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनको उनकी उपरोक्त सम्पत्ति पर विद्युत कनैक्शन प्रदान कर दिया जाए।

परिवादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि एक सम्पत्ति जो कि श्री मेहताब राठौर पुत्र श्री ओम प्रकाश राठौर द्वारा दिनांक 05.10.2006 में, श्री राजेन्द्र सिंह एवं श्रीमती श्वेता सिंह को विक्रय की गई थी, पुनः यह सम्पत्ति दिनांक 13.05.2013 को, श्री सागर मनचन्दा को विक्रय की गई थी। इसके बाद में, परिवादी श्री शुभम पुत्र श्री इन्द्रजीत द्वारा, उक्त सम्पत्ति को, दिनांक 26.09.2025, श्री सागर मनचन्दा से क्रय कर ली गई थी। उक्त सम्पत्ति के आस–पास की सभी सम्पत्तियाँ, श्री मेहताब राठौर द्वारा विक्रय की गई है, और सभी सम्पत्ति में, विद्युत विभाग का अलग–अलग विद्युत कनैक्शन लगा हुआ है। अतः मंच से अनुरोध है कि, उन्हे भी उनकी, सम्पत्ति पर नया विद्युत कनैक्शन, विभाग द्वारा दिलवा दिया जाए।

क्रमशः.....02

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या 9663, दिनांकित 12.12.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि श्री शुभम पुत्र श्री इन्द्रजीत, पीठ बाजार, ज्वालापुर, जिला हरिद्वार के सापेक्ष, आपको अवगत कराना है कि उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, ज्वालापुर–द्वितीय द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक 1031, दिनांक 17.11.2025 के माध्यम से, श्री शुभम पुत्र श्री इन्द्रजीत, पता–निवासी पीठ बाजार, ज्वालापुर, जिला हरिद्वार द्वारा, नया विद्युत संयोजन हेतु उपखण्ड कार्यालय ज्वालापुर–द्वितीय में आवेदन पत्र प्रेषित किया गया था, जिसका पंजीकरण (पंजीकरण संख्या–812151025001) दिनांक 15.10.2025 को, उपखण्ड कार्यालय द्वारा कर दिया गया था। उक्त परिसर का अवर अभियन्ता, 33/11 के0वी0 उपसंस्थान, ज्वालापुर–द्वितीय द्वारा निरीक्षण किये जाने के विषय में अवगत कराते हुए अवर अभियन्ता की निरीक्षण आख्या संलग्न कर, इस कार्यालय को प्रेषित की गयी थी जो कि निम्नलिखित है:–

"उपरोक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि, यह सम्पूर्ण सम्पत्ति, श्री ओम प्रकाश राठौर के नाम से थी, जिस पर, एक घरेलू विद्युत संयोजन–JW30527004857, नामें श्री ओम प्रकाश राठौर, जिस पर, विद्युत बकाया राशि रू0. 212918.00 है और एक अन्य Commercial S/C–JW60527042374, नामें श्री मेहताब सिंह, जिस पर, विद्युत बिल बकाया राशि रू0. 466448.00 है। जिस कारण, उपरोक्त आवेदन को निरस्त करने हेतु अग्रसरित किया गया और बिल बकाया राशि पर, उपरोक्त दोनों विद्युत संयोजनों (JW30527004857 व JW60527042374) को PD कर दिया गया है।"

यह भी अवगत कराना है कि, वादी ने सम्बन्धित सम्पत्ति खरीदते हुए, विद्युत विभाग से कोई No Dues Certificate प्राप्त नही किया है, जबकि UERC के Chapter 3: Release of New Connection के 3.1 General के बिन्दु संख्या 07 के अनुसार, "Where the New Owner/occupier has purchased/taken on rent or other wise Irgally occoupied an exisiting property whose Electricitiy connection has been disconnecteing, it shall be the duty of the new/prospective Owner/occupier, before purchase/occupancy of the property, to verify that the previous owner/occupier has paid all dues to the distribution licensee and has obtained a "No-dues certificate" from the distribution licensee. In case, such "No-dues certificate" has not heen obtained by the previous owner/occupier and alsoduse have not been paid and are still out standing, the new/prospective owner/occupier may approach the concerned officer of the distribution Lincensee for such certificate even before purchase....." के अनुसार सम्पत्ति खरीदते हुए, विद्युत विभाग से, No Dues Certificate प्राप्त किया जाना चाहिए।

मंच के समक्ष परिवादी शुभम तथा विपक्षी की ओर से, सहायक अभियन्ता(राजस्व) श्री एस0के0 गौतम उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी द्वारा, मोहल्ला शास्त्री नगर, अहमदपुर कड़च्छ, परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार स्थित 510 वर्गफुट प्लॉट पर, एक विद्युत संयोजन हेतु आवेदन प्रपत्र, विपक्षी विभाग को प्रेषित किया गया है जिसे संदर्भ संख्या– 113010250454, दिनांक 30.11.2025 को आवंटित किया गया है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र के अवलोकन से विदित होता है कि प्रश्नगत प्लॉट/सम्पत्ति का विवरण निम्नानुसार है:–

प्लॉट का क्षेत्रफल: 510 वर्गफुट यानी 47.40 वर्गमीटर

सीमाएं:

पूरब में–	30 फुट खाली प्लॉट शोभाराम
पश्चिम में–	30 फुट मकान रामेश्वर
उत्तर में–	17 फुट रास्ता 20 फुट चौड़ा
दक्षिण में–	17 फुट भूमि अन्य व्यक्ति

क्रमशः.....03

परिवादी द्वारा, उक्त प्लॉट/सम्पत्ति, श्री सागर मनचंद पुत्र श्री जगदीश मनचंदा, निवासी–115/17 बी, गली–2, आर्यनगर, ज्वालापुर, हरिद्वार से, दिनांक 06.09.2025 को क्रय की गई है। जिनके नाम पर कोई भी विद्युत संयोजन उक्त प्रश्नगत प्लॉट पर निर्गत नहीं किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि सागर मनचंदा पुत्र श्री जगदीश मनचंदा द्वारा, उक्त प्लॉट/सम्पत्ति, श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह से क्रय की गई है। पत्रावली में उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि प्रश्नगत प्लॉट/सम्पत्ति पर, नवंबर 2004 से वर्तमान तक कोई भी विद्युत संयोजन स्थापित नहीं रहा है। उक्त प्रश्नगत प्लॉट/सम्पत्ति पर, दिनांक 16.11.2004 से दिनांक 05.10.2006 तक श्री मेहताब सिंह पुत्र श्री ओमप्रकाश राठौर (एडवोकेट) के अधीन, दिनांक 05.10.2006 से दिनांक 14.05.2013 तक, श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री बलवीर सिंह तथा श्वेता सिंह पुत्री श्री धर्मपाल सिंह के अधीन तथा दिनांक 14.05.2013 से दिनांक 26.09.2025 तक श्री सागर मनचंद पुत्र श्री जगदीश मनचंदा के अधीन रही है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त प्लॉट/सम्पत्ति पर, पूर्व में विद्युत संयोजन निर्गत किए जाने से संबंधित कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, प्रश्नगत प्लॉट/सम्पत्ति पर विद्युत संयोजन जारी न करते हुए, परिवादी को विद्युत सुविधा से वंचित रखा जाना सही प्रतीत नहीं होता है। अतः विपक्षी विभाग द्वारा, उक्त प्लॉट/सम्पत्ति पर विद्युत संयोजन निर्गत किए जाने हेतु, परिवादी द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र पर मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 3.3.3 के अनुसार कार्यवाही करते हुए, निर्धारित समयावधि में, विद्युत संयोजन निर्गत किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त प्लॉट/सम्पत्ति पर विद्युत संयोजन निर्गत किए जाने हेतु, परिवादी द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र पर मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 3.3.3 के अनुसार कार्यवाही करते हुए, निर्धारित समयावधि में, विद्युत संयोजन निर्गत करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

30/12/2025

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

30/12/2025

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

30/12/2025

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 284 / 2025 दिनांक : 19.12.2025

परिवादी :– श्रीमती कुसुमलता पत्नी श्री रूपेश, नया गाँव देवीपुरा, ज्वालापुर–।।, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती कुसुमलता पत्नी श्री रूपेश, नया गांव देवीपुरा, ज्वालापुर–।।, जिला–हरिद्वार द्वारा, विद्युत संयोजन संख्या–जेडब्लू1129506394, के सन्दर्भ में कथन किया है कि उनके परिसर पर उनकी विद्युत लाईन पर जो मीटर लगा है उस पर मीटर संख्या 5594398 अंकित है जबकि उनके विद्युत बिलों में मीटर संख्या–5594368 दर्शाया जा रहा है। उन्होंने इसकी शिकायत विभाग से भी की थी और चैक मीटर के लिए भी आवेदन किया था। परन्तु उनके परिसर पर मीटर संख्या–5594398 स्थापित पाए जाने पर चैक मीटर स्थापित नहीं हो पाया। अतः मंच से अनुरोध है कि उनके परिसर पर स्थापित मीटर संख्या–5594398 को उनके अभिलेखों में दर्ज करा लिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या 8096 दिनांकित 17.11.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, ज्वालापुर–द्वितीय द्वारा कार्यालय पत्रांक 1030 दिनांक 17.11.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि श्रीमती कुसुम लता पत्नी श्री रूपेश, पता–नया गाँव, देवीपुरा, ज्वालापुर, जिला–हरिद्वार के विद्युत बिल में मीटर सं0 5594368 प्रदर्शित हो रही है परन्तु Genus द्वारा उपभोक्ता के परिसर पर मीटर (मीटर संख्या 5594398) स्थापित किया गया है उक्त मीटर सं0 को Update करने हेतु Genus को निर्देशित कर दिया गया है।

मंच के समक्ष परिवादिनी के प्रतिनिधि श्री रूपेश तथा विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) श्री एस0के0 गौतम उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी का यह विद्युत संयोजन, 01.00 किलोवाट विद्युत भार पर, दिनांक 19.12.2000 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 10.10.2025 तक, एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से यह विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादिनी के प्रश्नगत विद्युत संयोजन पर पूर्व में गतिमान मीटर संख्या–यू358892, दिनांक 29.04.2025 को, स्मार्ट मीटर संख्या–5594368 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जबकि परिवादिनी के कथनानुसार, परिवादिनी के प्रश्नगत विद्युत संयोजन पर, भौतिक रूप से, मीटर संख्या–5594398 स्थापित किया गया है तथा विपक्षी विभाग द्वारा, उक्त मीटर संख्या–5594398 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर, विद्युत बिल जारी नहीं किए जा रहे हैं।

क्रमशः.....02

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत उक्त मीटर संख्या—5594398 का छायाचित्र से भी स्पष्ट होता है कि परिवादिनी के विद्युत संयोजन पर स्मार्ट मीटर संख्या—5594398 स्थापित है। विपक्षी विभाग द्वारा प्रेषित पत्रांक संख्या—8096 दिनांक 17.11.2025 के माध्यम से भी, मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादिनी के बिलिंग संबंधी दस्तावेजों में, मीटर संख्या—5594368 के स्थान पर मीटर संख्या—5594398 दर्ज किए जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर मीटर संख्या—5594368 पर दर्ज विद्युत खपत के आधार पर, दिनांक 06.06.2025 से दिनांक 10.10.2025 तक जारी बिलों को निरस्त करते हुए, परिवादिनी के, बिलिंग संबंधी अभिलेखों में मीटर संख्या—5594398 दर्ज करते हुए, परिवादिनी द्वारा उक्त मीटर संख्या—5594398 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर, विलंब अधिभार शुल्क रहित, संशोधित बिल परिवादिनी को जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर मीटर संख्या—5594368 पर दर्ज विद्युत खपत के आधार पर, दिनांक 06.06.2025 से दिनांक 10.10.2025 तक जारी बिलों को निरस्त करते हुए, परिवादिनी के, बिलिंग संबंधी अभिलेखों में मीटर संख्या—5594398 दर्ज करते हुए, परिवादिनी द्वारा उक्त मीटर संख्या—5594398 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर, विलंब अधिभार शुल्क रहित, संशोधित बिल परिवादिनी को जारी करे। विद्युत विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

	19/12/2025	19/12/2025
(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

<u>**नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।**</u>

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 285 / 2025 दिनांक : 30.12.2025

परिवादी :– श्री जय सिंह पुत्र श्री श्याम लाल, पता–ग्राम–खानपुर ब्रहमपुर, रायसी, लक्सर, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, लक्सर, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री जय सिंह पुत्र श्री श्याम लाल, पता–ग्राम–खानपुर ब्रहमपुर, रायसी, लक्सर, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–एलके21434151788, स्वीकृत भार 02 किलोवाट के सन्दर्भ में, कथन किया है कि माह जुलाई में, स्मार्ट मीटर लगने पर, उन्हें अगले अगस्त माह का, विद्युत बिल जिसकी मूल राशि रू0. 42710.00 ऑनलाइन प्राप्त हुआ। इससे पहले, .उनके ऊपर, कोई बकाया विद्युत बिल नहीं है। स्मार्ट मीटर लगने से अत्यधिक बिल प्राप्त हुआ हैं। अतः मंच से अनुरोध है कि, उनका विद्युत बिल ठीक करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी द्वारा पत्र संख्या 645 दिनांकित 24.11.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि, उपभोक्ता का विद्युत बिल, संचित यूनिट के आधार पर बना है। उक्त के अनुक्रम में, उपखण्ड अधिकारी द्वारा, उनके पत्र संख्या 683 दिनांकित 16.12.2025 के द्वारा, सहायक अभियन्ता, उपाकालि, विद्युत मापक परीक्षणशाला, बाहदराबाद को, पत्र प्रेषित कर, कथन किया है कि, विद्युत संयोजन–एलके21434151788 / A/C No.–41600185770, श्री जय पुत्र श्री श्याम लाल, खानपुर का मीटर Genus कम्पनी द्वारा Smart Meter से परिवर्तित किया है तथा उपभोक्ता की Consumer History मे Meter Change Details मे old meter 126029 दर्शाया गया है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री जय सिंह तथा विपक्षी की ओर से, उपखण्ड अधिकारी श्री विवेक गुप्ता उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 02.00 किलोवाट विद्युत भार पर, दिनांक 31.01.2016 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 10.10.2025 तक एमयू आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं। परिवादी द्वारा, दिनांक 07.08.2025 को जारी बिल में दर्शायी गई धनराशि रू0 42710.00 को, पिछले बिलिंग चक्र–दिनांक 28.06.2025 को जारी बिल की धनराशि रू0 911.00 की तुलना में अत्यधिक होने के कथन के साथ विवादित ठहराया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर पूर्व में स्थापित मीटर संख्या–61092907 (126029) को, स्मार्ट मीटर संख्या–5601608 द्वारा, दिनांक 04.07.2025 को प्रतिस्थापित किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, गत वर्षों में, निम्नानुसार, विद्युत खपत के बिल परिवादी को जारी किए गए हैं:–

क्रमशः.....02

अवधि			विद्युत खपत/रीडिंग का विवरण			
से	तक	माह	IR	FR	कुल खपत	औसत खपत
31.01.16	31.01.17	12.00	00	23	23	02
31.01.17	10.02.18	12.30	23	302	279	23
10.02.18	04.02.19	11.80	302	862	560	47
04.02.19	07.02.20	12.00	862	1601	739	62
07.02.20	19.02.21	12.40	1601	2465	864	70
19.02.21	27.02.22	12.26	2465	2946	481	39
27.02.22	20.02.23	11.76	2946	3957	1011	46
20.02.23	11.02.24	11.70	3957	5500	1543	132
11.02.24	10.02.25	12.00	5500	7156	1656	138
10.02.25	28.06.25	04.60	7156	7345	189	49
28.06.25	04.07.25	0.20	7345	13197	5852	29260
31.01.16	04.07.25	113.00	00	13197	13197	117

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा, मीटर संख्या–61092902 (126029) के माध्यम से, दिनांक 31.01.2016 से दिनांक 04.07.2025 तक, लगभग 113 माह की अवधि में, लगभग 117 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत की गई है। दिनांक 04.07.2025 को, स्मार्ट मीटर संख्या–5601608 स्थापित किए जाने के पश्चात, परिवादी द्वारा दिनांक 10.10.2025 तक, लगभग 2.90 माह की अवधि में, कुल 251 यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 2.90 माह की अवधि में, लगभग 87 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है।

पत्रावली में उपलब्ध सिलिंग प्रमाण पत्र संख्या–03/35935 तथा एमआरआई रिपोर्ट के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी के प्रश्नगत विद्युत संयोजन पर, पूर्व में मीटर संख्या–61092907 स्थापित रहा है। जिसे दिनांक 04.07.2025 को स्मार्ट मीटर संख्या–560168 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। दिनांक 04.07.2025 को उक्त मीटर संख्या–61092907 पर रीडिंग/खपत 13197 केडब्लूएच दर्ज पाई गई है। उपरोक्त तालिका तथा एमआरआई रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर पूर्व में गतिमान उक्त मीटर संख्या–61092907 पर, समय–समय पर दर्ज विद्युत खपत के आधार पर विद्युत बिल जारी नहीं किए गए हैं। परिणामस्वरूप दिनांक 07.08.2025 को जारी बिल में, परिवादी द्वारा पूर्व में की गई विद्युत खपत के सापेक्ष, संचित विद्युत खपत की मात्रा को सम्मिलित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन के सापेक्ष दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 10.10.2025 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 31.01.2016 से दिनांक 04.07.2025 तक, लगभग 113 माह की अवधि हेतु, मीटर संख्या–61092907

क्रमशः.....03

के माध्यम से परिवादी द्वारा की गई कुल विद्युत खपत 13197 (13197–00) यूनिट के सापेक्ष दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर तथा दिनांक 07.04.2025 से दिनांक 10.10.2025 तक की अवधि हेतु, स्मार्ट मीटर संख्या–5601608 पर दर्ज, परिवादी द्वारा की गई वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर, विलंब अधिभार शुल्क रहित, संशोधित बिल, परिवादी को जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 10.10.2025 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 31.01.2016 से दिनांक 04.07.2025 तक, लगभग 113 माह की अवधि हेतु, मीटर संख्या–के माध्यम से परिवादी द्वारा की गई कुल विद्युत खपत 13197 (13197–00) यूनिट के सापेक्ष दर्ज औस्त मासिक विद्युत खपत के आधार पर तथा दिनांक 07.04.2025 से दिनांक 10.10.2025 तक की अवधि हेतु, स्मार्ट मीटर संख्या–5601608 पर दर्ज, परिवादी द्वारा की गई वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर, विलंब अधिभार शुल्क रहित, संशोधित बिल, परिवादी को जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

30/12/2025	30/12/2025	सतीश उनियाल 30/12/2025
(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

<u>नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 287/2025 दिनांक : 30.12.2025

परिवादी :– श्री ऋषि कुमार पुत्र श्री रमेश कुमार, शिव महिमा कालोनी, गली नं0–5, कांगडी, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री ऋषि कुमार पुत्र श्री रमेश कुमार, शिव महिमा कालोनी, गली नं0–5, कांगडी, जिला–हरिद्वार द्वारा, विद्युत संयोजन संख्या–6971329988152, के सन्दर्भ में कथन किया है कि उनके विद्युत बिलों को विभागीय कार्मिकों हेतु अनुमन्य विद्युत खपत–6500 यूनिट प्रति वर्ष के अनुसार संशोधित किए जाने की आवश्यकता है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका विद्युत बिल ठीक करा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा, पत्र संख्या 3259 दिनांकित 29.11.2025 के माध्यम से मंच को, अवगत कराया गया है कि, वादी श्री ऋषि कुमार पुत्र श्री रमेश कुमार, निवासी–शिव महिमा कालोनी, गली नं0 05, कांगड़ी, हरिद्वार के विद्युत संयोजन संख्या–697/1329/988152 में की गयी, शिकायत का अवलोकन करते हुए, सम्बन्धित बीजक, दिनांक–02.05.2023 से दिनांक 30.08.2025 तक, संशोधित किया गया है। जिसकी संशोधित धनराशि, रू0. 14648.00 प्रस्तावित है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 19.12.2025 को पुनः बिलों में संशोधन किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

मंच के समक्ष परिवादी के अनुपस्थित तथा विपक्षी की ओर से, सहायक अभियन्ता(राजस्व) श्रीमती प्रियंका अग्रवाल उपस्थित हुई।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 5.00 किलोवाट विद्युत भार पर, दिनांक 10.08.2019 से गतिमान है। परिवादी द्वारा, यूजेवीएनएल में कार्यरत तृतीय श्रेणी कार्मिक के रूप में उक्त विद्युत संयोजन के माध्यम से, विद्युत सुविधा का उपभोग किया जा रहा है। परिवादी द्वारा, आईडीएफ आधार पर जारी बिलों को, पूर्व में किए गए संशोधन पर, विभागीय कार्मिक हेतु अनुमन्य विद्युत खपत–6500 यूनिट प्रति वर्ष का संज्ञान न लिए जाने की शिकायत, मंच को प्रेषित की गई है, जिसे मंच द्वारा दिनांक 13.11.2025 को पंजीकृत किया गया है। मंच द्वारा दिनांक 13.11.2025 को नोटिस संख्या–1928/सीजीआरएफ/फोरम/नोटिस हरि0, जारी करते हुए, विपक्षी विभाग को लिखित उत्तर प्रस्तुत किए जाने हेतु, दिनांक 24.11.2025 तक का समय प्रदान किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 3259 दिनांक 29.11.2025 के माध्यम से, दिनांक 02.05.2023 से दिनांक 30.08.2025 तक की अवधि हेतु संशोधित बिल मंच को प्रेषित किया गया जिसकी प्रति, मंच द्वारा, परिवादी को, पत्रांक 978 दिनांक 06.12.2025 के माध्यम से उपलब्ध कराई गई। इसी कम में परिवादी द्वारा

क्रमशः.....02

दिनांक 10.12.2025 को, अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक की अवधि में की गई कुल विद्युत खपत–4831 यूनिट का विवरण प्रस्तुत किया गया है। तथा उक्त कुल विद्युत खपत–4831 यूनिट के सापेक्ष, विभागीय कार्मिक के रूप में अनुमन्य विद्युत खपत–6500 यूनिट का संज्ञान लिए जाने हेतु अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया है। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 19.12.2025 को प्रेषित, प्रस्तावित संशोधित बिल में, परिवादी द्वारा की गई कुल विद्युत खपत–4831 यूनिट के सापेक्ष अनुमन्य विद्युत खपत–6500 यूनिट प्रति वर्ष का संज्ञान लेते हुए, दिनांक 03.05.2023 से दिनांक 29.11.2025 तक की अवधि हेतु, परिवादी के विद्युत बिलों का संशोधन प्रस्तावित किया गया है जो कि सही प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 03.05.2023 से दिनांक 29.11.2025 तक की अवधि हेतु, निर्णय निकाय में दिए गए प्रस्तावित बिल संशोधन के आधार पर, परिवादी को संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विद्युत विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह दिनांक 03.05.2023 से दिनांक 29.11.2025 तक की अवधि हेतु, निर्णय निकाय में दिए गए प्रस्तावित बिल संशोधन के आधार पर, परिवादी को संशोधित बिल जारी करे। विद्युत विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

30/12/2025

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

30/12/2025

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

30/12/2025

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 291/2025 दिनांक : 30.12.2025

परिवादी :– श्री धर्मेन्द्र कुमार वास्ते श्रीमती उर्मिला पत्नी श्री भोपाल सिंह, कृष्णा विहार कालोनी, सलेमपुर महदूद–2, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार वास्ते श्रीमती उर्मिला पत्नी श्री भोपाल सिंह, कृष्णा विहार कालोनी, सलेमपुर महदूद–2, जिला–हरिद्वार द्वारा, विद्युत संयोजन संख्या–जेडब्लू11217148322 के सन्दर्भ में कथन किया है कि उनका बिजली का केबल, किसी अज्ञात वाहन से उलझकर, दिनांक 12.08.2025 को मीटर के ऊपर से टूट गया था, जिसको अस्थायी रूप से स्वयं लगा दिया गया था, परंतु कई बार संम्बन्धित विद्युत विभाग व कस्टमर केयर पर, निवेदन करने के बाद भी, उनका कनैक्शन स्थायी रूप से निकटतम खम्भे से नहीं जोड़ा गया है, इससे सम्बन्धित शिकायत टोल फ्री नंबर द्वारा (पंजीकृत संख्या 21208250970) विद्युत विभाग में दर्ज करवाई गई है, जिस पर, आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अतः मंच से अनुरोध है कि उक्त समस्या का जल्द से जल्द समाधान करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या 9564, दिनांकित 08.12.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि, उपभोक्ता श्रीमती उर्मिला पत्नी श्री भोपाल सिंह, कृष्णा विहार कालोनी, सलेमपुर महदूद–2, जिला हरिद्वार के सापेक्ष, उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, ज्वालापुर–द्वितीय द्वारा पत्रांक 1062 दिनांक 06.12.2025 के माध्यम से, अवगत कराया गया है कि, "श्रीमती उर्मिला पत्नी श्री भोपाल सिंह, कृष्णा विहार कालोनी, सलेमपुर महदूद–2, जिला हरिद्वार द्वारा, अपने विद्युत संयोजन की विद्युत केबिल किसी अज्ञात वाहन से उलझकर तार टूट जाने की शिकायत कस्टमर केयर (1912) पर दर्ज (शिकायत सं0 21208250970) करायी गयी है, जिसके अनुपालन में, संबन्धित क्षेत्र के अवर अभियन्ता द्वारा, अवगत कराया गया है कि उक्त शिकायतकर्ता से संबन्धित संयोजन का विद्युत केबिल, नजदीकी विद्युत पोल से जोड़कर समस्या का निवारण कर दिया गया है।"

मंच के समक्ष परिवादी अनुपस्थित तथा विपक्षी की ओर से, उपखण्ड अधिकारी श्रीमती अर्चना उपस्थित हुए।

क्रमशः.....02

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 02.00 किलोवाट विद्युत भार पर, दिनांक 06.10.2015 से, श्रीमती उर्मिला के नाम पर गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 25.11.2025 तक, एमयू आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं। परिवादी द्वारा, दिनांक 25.11.20245 तक जारी समस्त विद्युत बिलों का भुगतान किया गया है। परिवादी द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत विद्युत संयोजन पर स्थापित केबल को, किसी अज्ञात वाहन द्वारा क्षतिग्रस्त किए जाने की शिकायत संख्या–21208250970, दिनांक 12.08.2025 को प्रेषित की गई है। तदपश्चात परिवादी द्वारा, दिनांक 29.08.2025 एवं दिनांक 23.09.2025 को ई–मेल के माध्यम से तथा कस्टमर केयर पर शिकायत किए जाने के उपरांत, दिनांक 29.11.2025 तक, विपक्षी विभाग द्वारा उक्त शिकायत का समाधान न किए जाने के परिणामस्वरूप यह शिकायत, मंच को प्रेषित की गई। उक्त शिकायत के सापेक्ष, विभागीय जवाब प्रस्तुत किए जाने हेतु, मंच द्वारा, नोटिस सख्या–965, दिनांक 29.11.2025, विपक्षी विभाग को प्रेषित किया गया है। इसी कम में विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 9564 दिनांक 08.12.2025 के माध्यम से, मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी के संयोजन पर स्थापित क्षतिग्रस्त केबल को, नजदीकी पोल से जोड़ते हुए, परिवादी की उक्त शिकायत का समाधान कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा की गई उक्त कार्यवाही की पुष्टि, परिवादी द्वारा दिनांक 17.12.2025 को ई–मेल के माध्यम से की गई है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के संयोजन पर क्षतिग्रस्त केबल को नजदीकी पोल से जोड़ते हुए, परिवादी की उक्त शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादी की यह शिकायत निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के संयोजन पर क्षतिग्रस्त केबल को नजदीकी पोल से जोड़ते हुए, परिवादी की उक्त शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

	30/12/2025	30/12/2025
(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 292/2025 दिनांक : 30.12.2025

परिवादी :– श्री अशरफ अली वास्ते अब्दुल वहीद (मृतक उपभोक्ता), निवासी–सुल्तानपुर आदमपुर, लक्सर, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, लक्सर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री अशरफ अली वास्ते अब्दुल वहीद (मृतक उपभोक्ता), निवासी–सुल्तानपुर आदमपुर, लक्सर, जिला–हरिद्वार द्वारा, विद्युत संयोजन संख्या–एलके21432015315, स्वीकृत भार 01 किलोवाट के सन्दर्भ में कथन किया है कि, उनके पिता स्व0 श्री अब्दुल वहीद का स्वर्गवास दिनांक 09.09.2019 हो गया था। उनके स्वर्गवास से पहले, वह विद्युत बिल की अदायगी सुचारू रूप से कर रहे थे। उनके बिजली के बिल में, अनावश्यक रूप से अधिक बढ़ोतरी का बिल आया, जो पहले से अधिक था। वह अपने पिता का बिल, सही विद्युत बिल जमा करने के लिए तैयार हैं। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी द्वारा, पत्र संख्या 686, दिनांकित 04.12.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि, उक्त संयोजन की बिलिंग हिस्ट्री का अवलोकन किया गया, जिसमें उपभोक्ता का बिल, मीटर यूनिट आधार पर बन रहा है और उपभोक्ता द्वारा 2014 से बिल जमा नही किया गया है।

मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री समीर आलम तथा विपक्षी की ओर से, उपखण्ड अधिकारी श्री सचिन सचदेवा उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 01.00 किलोवाट भार पर, दिनांक 13.09.1981 से, श्री अब्दुल वहीद के नाम पर गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 07.02.2024 तक एमयू आधार पर, दिनांक 06.03.2024 को एनआर आधार, दिनांक 15.04.2024 से दिनांक 19.01.2025 तक, आईडीएफ आधार पर तद्पश्चात दिनांक 21.03.2025 से दिनांक 12.11.2025 तक एमयू आधार पर, विद्युत बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 07.02.2024 से दिनांक 15.12.2024 तक की अवधि हेतु, लगातार 11 बिलिंग चक्रों के लिए, एनए/आईडीएफ आधार पर अनंतिम बिल जारी करते हुए, मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (7) का उल्लंघन किया गया है।

क्रमशः.....02

विपक्षी विभाग द्वारा उक्त उल्लंघन के लिए दोषी कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में दोषी कार्मिकों की कार्यप्रणाली में सुधार हो सके तथा उपभोक्ताओं को वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर बिल जारी किए जा सकें।

विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के संयोजन पर पूर्व में गतिमान मीटर संख्या—जी010127 को, दोषपूर्ण हो जाने के उपरांत, दिनांक 15.12.2024 को मीटर संख्या—जीयू169299 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। परिवादी द्वारा उक्त मीटर संख्या—जीयू169299 के माध्यम से, दिनांक 15.12.2024 से दिनांक 12.11.2025 तक, लगभग 11 माह की अवधि में, कुल 141 (141—00) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 11 माह की अवधि में, लगभग 13 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है। जबकि, विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 07.02.2024 से दिनांक 15.12.2024 तक, लगभग 10.26 माह की अवधि हेतु, कुल 1897 यूनिट की विद्युत खपत का निर्धारण करते हुए बिल जारी किया गया है। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा, उक्त 10.26 माह की अवधि हेतु, लगभग 185 यूनिट प्रति माह की औसत दर से, विद्युत खपत का निर्धारण किया गया है जो कि उक्त 13 यूनिट प्रति माह की तुलना में 1323.08 प्रतिशत अधिक है। जो कि सही प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 06.03.2024 से दिनांक 21.03.2025 तक, जारी बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 07.02.2024 से दिनांक 15.12.2024 तक की अवधि हेतु आईडीएफ आधार पर जारी बिलों के सापेक्ष, उक्त 13 यूनिट प्रति माह की औसत विद्युत खपत के आधार पर, विद्युत खपत का निर्धारण करते हुए (विलंब अधिभार शुल्क रहित) तथा दिनांक 15.12.2024 से दिनांक 31.03.2025 तक की अवधि हेतु, परिवादी द्वारा की गई वास्तविक विद्युत खपत—52 (52—00) यूनिट के आधार पर, संशोधित बिल, परिवादी को जारी किए ज़ाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह दिनांक 06.03.2024 से दिनांक 21.03.2025 तक, जारी बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 07.02.2024 से दिनांक 15.12.2024 तक की अवधि हेतु आईडीएफ आधार पर जारी बिलों के सापेक्ष, उक्त 13 यूनिट प्रति माह की औसत विद्युत खपत के आधार पर, विद्युत खपत का निर्धारण करते हुए (विलंब अधिभार शुल्क रहित) तथा दिनांक 15.12.2024 से दिनांक 31.03.2025 तक की अवधि हेतु, परिवादी द्वारा की गई वास्तविक विद्युत खपत—52 (52—00) यूनिट के आधार पर, संशोधित बिल, परिवादी को जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

30/12/2025 30/12/2025

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

<u>नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>